



काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
पाँचवीं वार्षिक रिपोर्ट
2024-2025

पंजीकृत कार्यालय : द्वितीय ताल , S-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002



मूल्य:

- सत्यनिष्ठा
- सहयोग/सामंजस्य
- नवाचार
- संगठनात्मक प्रधानता
- उत्कृष्टता
- जिम्मेदारी
- पारदर्शिता
- हितधारक दृष्टिकोण

उद्देश्य :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी का ध्येय, अपने उत्पादक सदस्यों के बीच स्थायी सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, आपूर्ति किए गए दूध के प्रतिस्पर्धी मूल्य के साथ-साथ आवश्यक तकनीकी सेवाएं प्रदान करके, दूध उत्पादन को अनुकूलतम करना है।

दीर्घ दृष्टि :-

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी, अपने मूल्यों के मार्गदर्शक सिद्धान्त पर चलते हुए उत्तर भारत के डेयरी क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित कर, अपने उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, और उत्पादक सदस्यों की मुख्य पसंद बनने एवं प्रीमियम डेयरी पोषण प्रदान करते हुये, डेयरी उद्योग में नवाचार को प्रोत्साहित करेगी।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

निदेशक मंडल (23 जुलाई 2025 तक)

निदेशक :

श्रीमती सरिता देवी
श्रीमती संगीता देवी
श्रीमती प्रतिमा देवी
श्रीमती ममता देवी
श्रीमती श्यामलता सिंह
श्रीमती मनसा कुमारी
श्रीमती अंजना सिंह
श्रीमती पूनम देवी
श्रीमती रीना देवी
श्रीमती मंजू देवी
श्रीमती गीता वर्मा

विशेषज्ञ निदेशक :

डा. वीनू सोढी
कु. गायत्री सुरेंद्र राव

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक:

डॉ. मुकेश बेरीवाल

कंपनी सचिव

श्रीमती प्रियंका सत्यवली

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एन.आर. एंड एसोशिएट,
चार्टर्ड अकाउंटेंट

आंतरिक लेखा परीक्षक

मेसर्स रे एंड रे
चार्टर्ड एकाउंटेंट

बैंकर्स:

इंडियन बैंक
आईसीआईसीआई बैंक
बैंक ऑफ इंडि
भारतीय स्टेट बैंक

रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट:

मेसर्स बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन
एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी -
221002

ईमेल: info@kasheemilk.com

फ़ोन:

[0542-4085526](tel:0542-4085526)

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	प्रष्ठ संख्या
1	निदेशक की रिपोर्ट	5-26
2	स्वतंत्र लेखा परीक्षक रिपोर्ट	27-35
3	वार्षिक लेखा विवरण <ul style="list-style-type: none">• 31 मार्च 2025 का तुलन पत्र• 31 मार्च 2025 के लिए लाभ हानि खाता• रोकड़ प्रवाह विवरण	36 37 38
4	लेखांकन टिप्पणियाँ (Notes To Accounts)	39-65
5	वार्षिक आम सभा का सूचना पत्र तथा अनुलग्न	66- 93
6	प्राप्ति पत्र	94
7	उपस्थिति पर्ची	95
8	प्रॉक्सि फॉर्म	96-98
9	वार्षिक आम सभा का नक्शा और निकटवारती प्रमुख स्थल	99

(नोट: हिंदी भाषा में अनुवादित पाँचवीं एजीएम रिपोर्ट और लेखा विवरण में किसी भी प्रकार की असंगति/असामंजस्यता पाई जाने पर अंग्रेज़ी भाषा में लिखे हुए दस्तावेज़ ही अंतिम रूप से मान्य होंगे।)

निदेशकों की रिपोर्ट

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए

निदेशकगण आपको वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ऑडिट की गई वित्तीय विवरणों सहित वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष का अनुभव कर रहे हैं।

कंपनी का गठन 11 नवम्बर 2021 को कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा XXIA के अंतर्गत एक प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में किया गया था, जिसका उद्देश्य दुग्ध उत्पादन के माध्यम से महिला दुग्ध उत्पादकों को सतत आजीविका का विकल्प प्रदान करना है। यह परियोजना प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के पाँच जिलों को लक्षित कर शुरू की गई थी, जिसमें वित्तीय सहायता “उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन” और तकनीकी सहयोग “NDDB डेयरी सर्विसेज” से प्राप्त हुआ था।

कंपनी के सराहनीय प्रयासों को ध्यान में रखते हुए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (SRLM) द्वारा वर्ष 2024 से दो नए जिले - भदोही और वाराणसी को भी परियोजना में सम्मिलित करने की अनुमति दी गई। वर्तमान में कंपनी उत्तर प्रदेश के सात पूर्वी जिलों - बलिया, चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, भदोही और वाराणसी में कार्यरत है।

कंपनी ने अपना व्यावसायिक संचालन मार्च 2022 से “डायरी वैल्यू चेन डेवलपमेंट इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश” परियोजना के अंतर्गत प्रारंभ किया।

वित्तीय परिणाम एवं कंपनी की स्थिति

वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए कंपनी का वित्तीय प्रदर्शन संक्षेप में निम्नलिखित है:

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त (₹ लाख में)	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त (₹ लाख में)
संचालन से प्राप्त राजस्व	19,560.26	18,598.12
अन्य आय	356.51	1,001.18
कुल आय	19,916.77	19,599.31
कुल व्यय	19,662.09	18,729.70
कर पूर्व लाभ / (हानि)	254.68	869.61

विवरण	वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त (₹ लाख में)	वर्ष 31 मार्च 2024 को समाप्त (₹ लाख में)
कर व्यय	27.63	280.84
कर पश्चात लाभ / (हानि)	227.05	588.77

इस वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹19,916.77 लाख की कुल आय अर्जित की, जो कि पिछले वर्ष ₹19,599.31 लाख के मुकाबले अधिक है। यह वृद्धि मुख्य रूप से दूध संचालन से आय में वृद्धि के कारण हुई।

राजस्व व्यय में ₹932.40 लाख की वृद्धि देखी गई, जो मुख्यतः दूध की खरीद में वृद्धि तथा उससे संबंधित परिचालन व्ययों के बढ़ने के कारण हुई।

इसके अतिरिक्त, कंपनी को वित्तीय वर्ष 2023-24 की तुलना में अनुदान सहायता (grant-in-aid) कम प्राप्त हुई, जिससे कुल लाभ पर प्रभाव पड़ा।

फलस्वरूप, कर पश्चात लाभ ₹227.05 लाख रहा, जबकि पिछले वर्ष यह ₹588.77 लाख था।

सीमित लाभांश (डिविडेंड)

निदेशकगण वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ₹100 प्रति इक्विटी शेयर पर ₹8/- प्रति शेयर के दर से 514597 इक्विटी शेयरों पर लाभांश को प्रस्तावित करते हैं।

यह लाभांश कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में सदस्यों की स्वीकृति के अधीन रहेगा। यदि यह प्रस्ताव पारित होता है, तो लाभांश उन सदस्यों को देय होगा जिनके नाम 31 मार्च 2025 की स्थिति में सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।

स्वीकृति की स्थिति में, लाभांश भुगतान के रूप में ₹41,16,776/- (रुपये इकतालीस लाख सोलह हजार सात सौ छिहत्तर मात्र) की नकद निकासी की जाएगी।

सामान्य भंडार (जनरल रिजर्व) में अंतरण

सामान्य भंडार वह राशि होती है जिसे कंपनी अपनी सामान्य गतिविधियों से प्राप्त लाभ में से भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रखती है। कंपनी के संविधान (Article of Association) के अनुच्छेद संख्या 11.10 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZI के प्रावधानों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कर उपरांत लाभ में से रु. 227.05/- लाख को सामान्य भंडार में अंतरण करने का प्रस्ताव निदेशक मंडल द्वारा किया गया है, जिसे बैलेंस शीट में दर्शाया जाएगा।

कंपनी का परिचालन

31 मार्च 2025 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के सात जिलों - चंदौली, गाज़ीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, बलिया, भदोही और वाराणसी - के 1000 गांवों में दुग्ध संकलन केंद्र (Milk Pooling Points - MPPs)

की स्थापना की है। इन केंद्रों के माध्यम से कंपनी ग्रामीण क्षेत्रों से नियमित रूप से दूध की आपूर्ति प्राप्त करती है।

वर्ष के दौरान कंपनी ने कुल 3,66,74,801 लीटर कच्चे दूध का संकलन किया, जिसकी औसत प्रतिदिन आपूर्ति 1,00,479 लीटर रही। वित्तीय वर्ष के अंत तक कंपनी के पास कुल 29,576 सदस्य थे, जो कंपनी के संचालन में निरंतर विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। यह संकेत एक सकारात्मक वृद्धि यात्रा की शुरुआत को दर्शाता है, जिसमें सक्रिय सदस्यों के सहयोग से भविष्य में और भी ऊँचाइयों को प्राप्त किया जा सकता है।

दुग्ध संग्रहण मूल्य निर्धारण के संदर्भ में, कंपनी अपने सदस्यों को प्रतिस्पर्धात्मक एवं लाभप्रद दरों पर दूध की कीमत देने के प्रति प्रतिबद्ध है।

कंपनी अपने प्रक्रियाओं में सुधार कर तथा लागत में कटौती के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसके लिए कंपनी लॉजिस्टिक्स को अनुकूल बनाना, गुणवत्ता सुनिश्चित करना तथा प्रभावी पर्यवेक्षण जैसे उपायों को अपनाती है।

गुणवत्ता आश्वासन (Quality Assurance)

कंपनी दूध की गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। डेयरी मूल्य श्रृंखला में हमारी मजबूत गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि दूध की प्रत्येक बूंद पोषण, स्वाद और सुरक्षा के कड़े मानकों पर खरी उतरे।

कंपनी अपने दुग्ध उत्पादक सदस्य किसानों से कच्चे दूध की खरीद स्वच्छ दुग्ध उत्पादन, सुव्यवस्थित विनिर्माण पद्धतियाँ (GMP) और साफ-सफाई की उत्तम पद्धतियाँ (GHP) का पालन करते हुए करती है, जिसकी निगरानी हमारी अनुभवी एवं योग्य गुणवत्ता आश्वासन तथा खरीद टीम द्वारा की जाती है।

डॉक स्तर पर दूध में मिलावट की जांच हेतु विभिन्न परीक्षण किए जाते हैं और दूध के लगभग 32 गुणवत्ता परीक्षण मानकों की जांच दूध के प्रेषण से पहले की जाती है। हम अपने किसान सदस्यों एवं फील्ड स्तर तथा मिल्क कलेक्शन सेंटर (MCC) स्तर के समस्त संबंधित कर्मचारियों को स्वच्छ दुग्ध उत्पादन पद्धतियों के संबंध में जागरूक करने हेतु नियमित कार्यक्रम चला रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, कंपनी द्वारा बल्क मिल्क कूलर/दुग्ध शीतलन केंद्रों में कई महत्वपूर्ण तकनीकी उन्नयन किए गए, जिनमें एमबीएसकेन (MBSCAN) तकनीक का उपयोग चुनार, सोनभद्र, सकलडीहा, गाजीपुर एवं बलिया के दूध शीतलन केंद्रों में किया गया।

इस वर्ष के दौरान, कच्चे ठंडे दूध के लिए कंपनी ने औसतन 110 मिनट का मिथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट (MBRT) स्कोर प्राप्त किया है, जो गुणवत्ता में लगातार सुधार को दर्शाता है और इससे मदर डेयरी स्तर पर दूध अस्वीकृति की घटनाओं में पर्याप्त कमी लाई गई। साथ ही, गुणवत्ता मॉड्यूल की सहायता से विभिन्न डिजिटल अभिलेखों का दैनिक आधार पर संधारण भी किया जा रहा है।

उत्पादकता संवर्धन सेवाएं (Productivity Enhancement Services)

कंपनी द्वारा डेयरी पशुओं हेतु उत्पादकता संवर्धन सेवाएं (PES) प्रदान की जाती हैं, जिनमें निम्न सेवाएँ सम्मिलित हैं:

- MAITs की पहचान एवं प्रशिक्षण
- घर-घर कृत्रिम गर्भाधान सेवाएं
- गर्भ जांच सेवाएं
- संतुलित पशु आहार एवं क्षेत्र-विशिष्ट खनिज मिश्रण (पूर्वाचल-विशेष) की आपूर्ति
- मास्टाइटिस जांच
- बांझपन और पशु स्वास्थ्य प्रबंधन शिविरों का आयोजन
- डेयरी प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

उपरोक्त सभी गतिविधियाँ वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान भी जारी रहीं।

पशु आहार (Cattle Feed)

अपने उत्पादक सदस्यों को सहयोग एवं सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता के तहत, कंपनी द्वारा उच्च गुणवत्ता वाला पशु आहार उपलब्ध कराया जा रहा है। यह पहल पशुओं के स्वास्थ्य एवं उत्पादकता को बढ़ाने, दुग्ध उत्पादन में वृद्धि और सदस्यों की आय बढ़ाने में सहायक है, जिससे उनका समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित होता है।

कंपनी द्वारा संतुलित मिश्रित पशु आहार (बीआईएस टाइप II) "साग (SAG)" ब्रांड नाम से प्रदान किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी ने अपने उत्पादक सदस्यों को लगभग 3144 मीट्रिक टन पशु आहार उपलब्ध कराया।

खनिज मिश्रण (Mineral Mixture)

खनिज पदार्थ विभिन्न शारीरिक क्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिनमें हड्डियों की मजबूती, प्रतिरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना तथा प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखना शामिल है। कंपनी द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे खनिज मिश्रण इस क्षेत्र में प्रचलित खनिज तत्वों की कमी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से विशेष रूप से तैयार किए गए हैं। यह विशेष दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करता है कि पशुओं को उनके उत्तम स्वास्थ्य और कार्यक्षमता हेतु आवश्यक सभी प्रमुख खनिज तत्व समय पर और उपयुक्त मात्रा में प्राप्त हों।

कंपनी अपने सदस्य उत्पादकों को "SAG" ब्रांड नाम के अंतर्गत पूर्वाचल क्षेत्र हेतु विशिष्ट रूप से तैयार की गई

चिलेटेड मिनेरल मिक्सचर बहुत ही प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर उपलब्ध करा रही है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा कुल 23,892 किलोग्राम खनिज मिश्रण अपने उत्पादक सदस्यों को प्रदान किया गया।

चारा विकास (Fodder Development)

कंपनी अपने दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पशुपालन में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चारा विकास को बढ़ावा देती है। इस पहल के माध्यम से सदस्यों को बेहतर किस्म के चारे के बीजों एवं टिकाऊ कृषि पद्धतियों तक पहुंच प्राप्त होती है, जिससे उनके पशुधन की सेहत और उत्पादकता में वृद्धि होती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 37.576 मीट्रिक टन (MT) उन्नत किस्म के चारे के बीज दुग्ध उत्पादक सदस्यों को वितरित किए गए। इसके अतिरिक्त, ग्रीष्मकालीन मौसम हेतु नई किस्मों के चारे जैसे जम्बो सुपर, मेगा स्वीट और न्यूट्री फीड के बीज भी दुग्ध उत्पादक सदस्यों को प्रदान किए गए।

डोरस्टेप कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ

कृत्रिम गर्भाधान एक आधुनिक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित तकनीक है, जिसके अंतर्गत चयनित वीर्य को मादा पशुओं में कृत्रिम रूप से प्रविष्ट कराकर नियंत्रित व उन्नत प्रजनन सुनिश्चित किया जाता है। इस सेवा का लाभ उठाकर सदस्यगण अपने पशुधन की उत्पादकता एवं प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, जिससे दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है एवं अन्य पशुओं की वृद्धि दर भी बेहतर होती है।

कंपनी के प्रशिक्षित मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (MAITs) इस प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करते हैं, जिससे श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होते हैं तथा पशुओं की सेहत सुनिश्चित की जाती है।

कृत्रिम गर्भाधान सेवा, कंपनी की सतत पशुधन विकास के प्रति प्रतिबद्धता का हिस्सा है। इस पहल के माध्यम से बेहतर प्रजनन पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कृषि समुदाय के समग्र विकास एवं दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान मिल रहा है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कंपनी द्वारा किए गए प्रमुख प्रयास -

- **कृत्रिम गर्भाधान (AI):**

कुल 27,738 कृत्रिम गर्भाधान उच्च गुणवत्ता वाले आनुवंशिक वीर्य खुराक के माध्यम से किए गए। इस उन्नत तकनीक के माध्यम से सदस्यों को श्रेष्ठ आनुवंशिकी तक पहुँच प्राप्त हुई, जिससे पशुओं की उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

- **प्रशिक्षण:**

कंपनी ने कुल 70 मोबाइल कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियनों (MAITs) को प्रशिक्षित किया, जिससे सेवा की दक्षता व गुणवत्ता में वृद्धि हुई। इन तकनीशियनों ने प्रजनन प्रक्रिया के दौरान सदस्यों को विशेषज्ञ सहायता प्रदान की।

- **पशु स्वास्थ्य एवं बंध्यता प्रबंधन शिविर:**

कंपनी ने कुल 170 पशु स्वास्थ्य एवं बंध्यता प्रबंधन शिविरों का आयोजन किया, जिनमें 1740 पशुओं को

आवश्यक चिकित्सा सेवाएँ प्रदान की गईं। इन शिविरों का उद्देश्य पशुओं के समग्र स्वास्थ्य व प्रजनन क्षमता में सुधार करना रहा।

रोकथाम हेतु पशु स्वास्थ्य पहलें

- **मास्टाइटिस (थनैला रोग) की रोकथाम:**
मास्टाइटिस रोग, जो दुग्ध उत्पादकता में भारी हानि का कारण बनता है, की प्रारंभिक पहचान हेतु कंपनी ने कैलिफोर्निया मास्टाइटिस टेस्ट (CMT) जैसे सरल व किफायती पशु-स्तरीय निदान परीक्षण को अपनाया। यह परीक्षण विशेष रूप से उन मामलों में उपयोगी है, जहाँ लक्षण स्पष्ट नहीं होते परंतु आर्थिक नुकसान होते हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 465 CMT परीक्षण किए गए एवं दुग्ध उत्पादकों को इस संबंध में जागरूक भी किया गया।
- **ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर (TSC Powder):**
CMT परीक्षण के माध्यम से पहचाने गए सब-क्लीनिकल मास्टाइटिस की रोकथाम हेतु, ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर को दूध उत्पादक सदस्यों में वितरित किया गया। कुल 70 किलोग्राम ट्राइसोडियम साइट्रेट पाउडर वितरित किया गया।
- **डीवॉर्मिंग (कीट नियंत्रण):**
पशुओं को आंतरिक परजीवियों से सुरक्षित रखने व उनके स्वास्थ्य को बनाए रखने हेतु कीट नियंत्रण (deworming) अत्यंत आवश्यक है। कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 6,696 स्ट्रिप्स डीवॉर्मिंग बोलस वितरित कीं, जिससे पशु स्वास्थ्य को सशक्त समर्थन मिला।

क्षमता विकास (Capacity Building)

- **डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण:**
डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण, सफल डेयरी संचालन हेतु सर्वश्रेष्ठ उपायों में से एक है। यह प्रशिक्षण पशु चिकित्सकों/पीईएस अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसमें दुग्ध उत्पादकों को डेयरी की कार्यक्षमता बढ़ाने, डेयरी फार्म का समुचित प्रबंधन करने तथा डेयरी व्यवसाय से लाभप्रदता सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है।

सदस्यों को अच्छे फार्म प्रबंधन के विभिन्न उपायों जैसे कि स्वच्छ दूध उत्पादन, बछड़ों के लिए पौष्टिक आहार प्रबंधन, खुला बाड़ा प्रणाली, पर्याप्त जल व्यवस्था, रोगों की रोकथाम, एवं उचित शेड प्रबंधन आदि की जानकारी दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 40 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें 870 दुग्ध उत्पादकों को गुणवत्तापूर्ण डेयरी प्रबंधन अभ्यासों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

- **साइलेज डेमोंस्ट्रेशन:**
गर्मी के मौसम में पौष्टिक हरे चारे की कमी के कारण दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों में कमी आ गई। साइलेंज हरे चारे से बनाया गया एक संकुचित और बिना हवा के किण्वित किया गया उत्पाद होता है, जो एक

बार तैयार हो जाने पर पूरे साल जानवरों को पोषण देता है सदस्यों को साइलेज तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 12 साइलेज डेमोंस्ट्रेशन/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

उत्पादक संस्था सशक्तिकरण (Producer Institution Building - PIB)

उत्पादक संस्था सशक्तिकरण (PIB) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से उत्पादकों के स्वामित्व एवं प्रबंधन वाली संस्थाओं की स्थापना एवं सुदृढीकरण किया जाता है। इसका उद्देश्य संस्था की संचालन व्यवस्था, प्रदर्शन एवं स्थायित्व को बेहतर बनाना है ताकि सदस्य अधिक जागरूक, सहभागी एवं सशक्त बन सकें।

PIB का प्रमुख उद्देश्य यह है कि संस्था का संचालन अधिक कुशल, पारदर्शी और दीर्घकालिक हो। यह उत्पादक कंपनियों को अन्य डेयरी संस्थाओं से भिन्न बनाता है, क्योंकि इसमें पारदर्शिता और निष्पक्षता से प्रबंधन किया जाता है और सदस्य सेवा उपभोग के अनुपात में योगदान करते हैं।

एमपीसी के मूल संरचनात्मक सिद्धांत (MPC's Core Design Principles)

- केवल सदस्यों के साथ व्यवसाय
- सक्रिय उपयोगकर्ता सदस्यता एवं व्यवसाय एवं संचालन में भागीदारी
- सदस्य पूंजी का योगदान संरक्षकता (patronage) के अनुपात में
- सदस्य संवाद और शिकायत निवारण हेतु उपयुक्त प्रणाली
- व्यवसायिक संचालन का व्यावसायिक प्रबंधन एवं शीघ्र आत्मनिर्भरता हेतु आवश्यक पैमाने की अर्थव्यवस्था
- सदस्यों को अधिकतम लाभ दिलाने हेतु प्रभावी मूल्य श्रृंखला प्रबंधन
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने हेतु सूचना एवं डाटा प्रबंधन में तकनीक का उपयोग

प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन कार्यक्रम

कंपनी द्वारा संचालित प्रशिक्षण एवं क्षमता विकास कार्यक्रम सदस्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादक सदस्य कंपनी में अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों को समझते हैं, उन्हें डेयरी संचालन की बेहतर विधियों हेतु मार्गदर्शन एवं समर्थन प्राप्त होता है, वे उच्च गुणवत्ता वाले इनपुट्स एवं बाजार तक पहुँच प्राप्त कर अपनी आमदनी एवं प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं, साथ ही वे शासन एवं प्रबंधन क्षमताओं का विकास कर अपनी संस्था को कुशलता पूर्वक चला सकते हैं।

सदस्य जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम

सदस्यों एवं संभावित सदस्यों को शामिल करते हुए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, ताकि नए उत्पादक सदस्यों की भर्ती की जा सके। इसके अतिरिक्त, सहायक एवं फील्ड कर्मचारियों हेतु भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान आयोजित प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

क्रम संख्या	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या
1.	सहायक ओरिएंटेशन कार्यक्रम	310
2.	निदेशक कौशल विकास कार्यक्रम	2
3.	नेतृत्व विकास कार्यक्रम	1
4.	डेयरी प्रबंधन प्रशिक्षण	40
5.	उत्पादक जागरूकता कार्यक्रम	798
6.	महिला जागरूकता कार्यक्रम	800
7.	VCG ओरिएंटेशन	390
8.	स्वच्छ दूध उत्पादन कार्यक्रम	800
9.	स्कूल के बच्चों हेतु जागरूकता कार्यक्रम	5

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात हुई महत्वपूर्ण घटनाएं

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, 31 मार्च 2025 के पश्चात एवं इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाली कोई भी महत्वपूर्ण घटना अथवा प्रतिबद्धता घटित नहीं हुई है। विनियामकों और न्यायालयों द्वारा कोई महत्वपूर्ण और भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है जो कंपनी की चालू स्थिति और उसके भविष्य के संचालन को प्रभावित करेगा।

व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन

वर्ष के दौरान कंपनी के व्यवसाय की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

शेयर पूंजी एवं सदस्यता

वित्तीय वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा अपने अधिकृत अंश पूंजी में परिवर्तन किया गया। वर्ष की शुरुआत में कंपनी की अधिकृत अंश पूंजी ₹5 करोड़ थी, जिसे बढ़ाकर ₹10 करोड़ कर दिया गया। अधिकृत अंश पूंजी में इस वृद्धि को कंपनी की 18 सितम्बर, 2024 को आयोजित चतुर्थ वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित किया गया।

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में कंपनी की सब्सक्राइब की गई एवं चुकता शेयर पूंजी ₹3,19,96,200/- थी, जो कि 31 मार्च 2025 को बढ़कर ₹5,14,59,700/- हो गई।

वर्ष के दौरान, कंपनी ने कुल 23,013 इक्विटी शेयरों को सदस्यों द्वारा रद्दीकरण/समर्पण के कारण रद्द किया है।

31 मार्च 2025 की स्थिति में, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मॅबर्स में कुल 29,576 सदस्य दर्ज हैं।

31 मार्च 2025 के पश्चात कंपनी द्वारा किए गए शेयर आवंटन का विवरण नीचे प्रस्तुत किया जाएगा।

आवेदक का प्रकार	दिनांक	आवेदनित शेयरों की संख्या	आवंटित शेयरों की संख्या	राशि (₹.)	टिप्पणी
नई	26/05/2025	1170	6178	6,17,800	
पूर्ववर्ती	26/05/2025	4107	12203	12,20,300	
नई	23/07/2025	1463	7486	748600	यह आवंटन सदस्यता समाप्ति के कारण निरस्त किए गए शेयरों के पुनः निर्गम (री-इश्यू) के अंतर्गत किया गया है, अतः यह कंपनी की चुकता पूंजी को प्रभावित नहीं करता है।
पूर्ववर्ती	23/07/2025	1342	10702	1070200	

इस प्रकार, इस प्रतिवेदन की तिथि तक कंपनी के कुल सदस्यों की संख्या 27,476 है एवं कंपनी की चुकता पूंजी ₹5,32,97,800/- (रुपये पाँच करोड़ बत्तीस लाख सत्तानवे हजार आठ सौ मात्र) है।

मतदान अधिकार एवं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति

कंपनी के अनुच्छेदों के अनुसार, प्रत्येक सदस्य को एक मत का अधिकार प्राप्त होगा, बशर्ते कि सदस्य ने एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 200 दिनों तक कुल 500 लीटर दूध दुहा हो। आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान अधिकार के प्रयोग के संबंध में सूचित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 की स्थिति में कंपनी के कुल 29,576 सदस्यों में से केवल 7,004 सदस्य ही मतदान हेतु पात्र हैं। शेष 22,572 सदस्य, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 200 दिनों तक कुल 500 लीटर दूध नहीं दुहा, वे अपने मतदान अधिकार से वंचित हो गए हैं तथा आगामी वार्षिक आम बैठक में मतदान के लिए पात्र नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2025 के पश्चात कंपनी में नवस्वीकृत कुल 2,633 सदस्य, जो 5वीं वार्षिक आम बैठक के पश्चात सदस्य बने हैं, वे इस बैठक में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे।

इस रिपोर्ट की तिथि तक कुल 27,476 सदस्य 5वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए पात्र हैं।

क्रम संख्या	नाम	निदेशक पहचान संख्या (DIN)
1.	श्रीमती संगीता देवी	09687721
2.	श्रीमती सरिता	09687193
3.	श्रीमती अंजना सिंह	10190931
4.	श्रीमती मनसा कुमारी	10180237
5.	श्रीमती श्यामलता सिंह	10180147
6.	श्रीमती प्रतिमा देवी	10290499

क्रम संख्या	नाम	निदेशक पहचान संख्या (DIN)
7.	श्रीमती ममता देवी	10180142
8.	श्रीमती पूनम देवी	10743330
9.	श्रीमती रीना देवी	10743346
10.	श्रीमती मंजू देवी	10743357
11.	श्रीमती गीता वर्मा	10743665
12.	डॉ. मुकेश बेरीवाल	10697848
13.	डॉ. संजय कुमार मगनलाल गोवानी	08814861
14.	श्री आलोक कुमार गुप्ता	03159741

निदेशक मंडल की संरचना में परिवर्तन

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में निदेशक मंडल की संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए:

नियुक्तियाँ:

- श्री आलोक कुमार गुप्ता को दिनांक 24 अप्रैल 2024 को विशेषज्ञ निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- डॉ. मुकेश बेरीवाल को दिनांक 5 जुलाई 2024 को मुख्य कार्यकारी पद पर तथा 6 जुलाई 2024 से, उनके निदेशक पहचान संख्या (DIN) आवंटित होने के पश्चात, निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्रीमती पूनम देवी, श्रीमती रीना देवी, श्रीमती मंजू देवी एवं श्रीमती गीता वर्मा को 18 सितंबर 2024 को आयोजित चौथी वार्षिक आम बैठक में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया।

त्यागपत्र एवं सेवानिवृत्ति:

- डॉ. मनवीर सिंह ने मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक पद से 4 जुलाई 2025 से प्रभावी त्यागपत्र दिया।
- श्रीमती ममता सिंह 18 सितंबर 2024 को आयोजित चौथी वार्षिक आम बैठक के दौरान निदेशक पद से सेवानिवृत्त हुईं।

प्रशंसा/आभार:

- निदेशक मंडल, डॉ. मनवीर सिंह एवं श्रीमती ममता सिंह द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान प्रदान की गई सेवाओं के लिए हार्दिक प्रशंसा करता है।
- कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत निदेशक निम्नलिखित की पुष्टि करते हैं:

a) वर्ष 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वार्षिक लेखों की तैयारी में, अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित आवश्यकताओं के साथ लागू लेखा मानकों का पालन किया गया है और इसमें कोई भी भौतिक विचलन नहीं किया गया है।

- निदेशकों ने ऐसे लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें निरंतर रूप से लागू किया है और उचित और विवेकपूर्ण अनुमान लगाए हैं ताकि कंपनी की स्थिति पर सच्चा और उचित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके।
- निदेशकों ने कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य असमानताओं को रोकने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है।
- निदेशकों ने वार्षिक खातों को लगातार संचालन के आधार पर तैयार किया है।
- निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उचित सिस्टम तैयार किए हैं और ऐसे सिस्टम पर्याप्त और प्रभावी रूप से कार्यशील हैं।

लेखा परीक्षक

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक, मेसर्स आर. एंड एसोसिएट्स (FRN: 312101E) चार्टर्ड अकाउंटेंट, को पहली वार्षिक सामान्य बैठक में कंपनी के छठी वार्षिक आम बैठक तक नियुक्त किया गया है, जो वर्ष 2026 में होगी। उन्होंने पुष्टि की है कि उनकी पुनर्नियुक्ति यदि की जाती है तो यह अधिनियम के तहत निर्धारित सीमा के भीतर होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं हैं। समीक्षित वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षक ने कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 143 के उपधारा (12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की घटना नहीं पाई।

लागत रिकॉर्ड

कंपनी द्वारा की गई व्यापार गतिविधियों के लिए लागत रिकॉर्ड रखरखाव और लागत ऑडिट की आवश्यकता जो कंपनियों अधिनियम 2013 की धारा 148 के प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई है, लागू नहीं है।

बोर्ड की टिप्पणी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में संदर्भित नोट्स और वित्तीय विवरण स्वयं-व्याख्यात्मक हैं और किसी भी अतिरिक्त टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में कोई अहंता, आरक्षण, प्रतिकूल टिप्पणी, या अस्वीकृति नहीं है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली और ऑडिट

कंपनी के पास एक उचित और पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है, जो सुनिश्चित करती है कि सभी संपत्तियों की सुरक्षा और संरक्षण हो और लेन-देन को सही ढंग से प्राधिकृत, दर्ज, और रिपोर्ट किया जाए। खातों का आंतरिक ऑडिट नियमित रूप से बाहरी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म, एम/स. रे और रे, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स द्वारा किया जाता है। आंतरिक ऑडिटर्स स्वतंत्र रूप से आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता का मूल्यांकन करते हैं और ऑडिट करते हैं।

मानव संसाधन

आज के प्रतिस्पर्धात्मक और परिवर्तनशील व्यावसायिक परिवेश में किसी भी संगठन की सबसे मूल्यवान संपत्ति उसके कर्मचारी होते हैं। काशी में हम दृढ़ विश्वास रखते हैं कि हमारे कर्मचारियों का जुनून, उत्तरदायित्व की भावना और सहयोगात्मक दृष्टिकोण हमारी निरंतर सफलता और विकास का आधार रहे हैं। हमारी मानव संसाधन (HR) रणनीति का मुख्य उद्देश्य प्रतिभा को विकसित करना, समावेशिता और नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देना तथा कर्मचारियों को व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों ही क्षेत्रों में प्रगति हेतु सशक्त बनाना है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मानव संसाधन विभाग ने कई रणनीतिक पहलों को क्रियान्वित किया, जिनका उद्देश्य कर्मचारी सहभागिता को बढ़ाना, कार्यस्थल की सुरक्षा को सुनिश्चित करना, समग्र स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देना तथा संगठनात्मक लक्ष्यों के अनुरूप कर्मचारियों की क्षमताओं को सुदृढ़ करना रहा।

प्रमुख HR पहलें और उपलब्धियाँ:

- **कर्मचारी कल्याण, स्वास्थ्य पहलें एवं कार्यस्थल सुरक्षा:**
सीपीआर प्रशिक्षण सत्र (CPR Training) के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को प्रोत्साहित किया गया एवं निवारक स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया, जिससे समय रहते रोगों की पहचान और देखभाल को बढ़ावा मिला। पहली बार, कार्यस्थल पर *अंतरराष्ट्रीय योग दिवस* मनाया गया, जिससे मानसिक सजगता, शारीरिक स्वास्थ्य और कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा मिला। *फायर सेफ्टी अवेयरनेस सेशन* आयोजित किए गए, ताकि आपात स्थितियों में कर्मचारियों की तत्परता बढ़ाई जा सके और एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।
- **कर्मचारी सहभागिता और संगठनात्मक संस्कृति:**
गरबा, दीवाली और *होली* जैसे पर्वों का उत्सवपूर्वक आयोजन कर सांस्कृतिक एकीकरण और टीम भावना को प्रोत्साहित किया गया। कंपनी का स्थापना दिवस को पूरे उत्साह के साथ मनाया गया, जिससे हमारी साझा मूल्य प्रणाली और दृष्टिकोण का प्रदर्शन हुआ। *महिला दिवस* के अवसर पर हमारी महिला कर्मचारियों के योगदान को सराहा गया, जिससे लैंगिक समानता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता सुदृढ़ हुई।
- **खेल पहलें:**
काशी प्रीमियर लीग 2025 का सफल आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न खेल गतिविधियाँ सम्मिलित थीं। *महिला बैडमिंटन ट्राँफी* की शुरुआत की गई, जिससे खेलों में समावेशिता को बढ़ावा मिला।
- **सीख और विकास:**
हमने विभिन्न क्षमतावर्धन कार्यक्रमों में निवेश किया, जिनमें संघर्ष प्रबंधन प्रशिक्षण, आईएसओ जागरूकता, आंतरिक लेखा परीक्षा प्रशिक्षण और इंडक्शन कार्यक्रम शामिल हैं। क्षेत्रीय टीमों के लिए IBP फेसीलिटेटर प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया, जिससे नेतृत्व क्षमता और संचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा मिला।
- **उपलब्धियों की मान्यता एवं सम्मान :**

हमने प्रदर्शन आधारित मान्यता कार्यक्रम को जारी रखा, जिसमें विभिन्न श्रेणियों में मान्यता एवं सम्मान प्रदान किए गए जैसे – सर्वश्रेष्ठ एरिया मैनेजर, उत्पाद बिक्री स्टार, इनवर्ड कॉस्ट मास्टर, सहयोगी प्रोत्साहन लीडर, सर्वश्रेष्ठ फेसिलिटेटर, सर्वश्रेष्ठ एमसीसी/बीएमएस प्रभारी, तथा सर्वश्रेष्ठ एमबीआरटी। इन सम्माननों ने हमारे कर्मचारियों को उच्च प्रदर्शन बनाए रखने और संगठनात्मक मूल्यों के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रेरित किया।

कंपनी में हम एक उच्च-विश्वास, उच्च-प्रदर्शन संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो उत्कृष्टता, नवाचार और सामूहिक विकास को प्रेरित करती है।

सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology):

वित्तीय वर्ष 2024-25 में कंपनी के आईटी विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) ने पारदर्शिता, दक्षता, और महत्वपूर्ण आंकड़ों तक वास्तविक समय में पहुंच सुनिश्चित करने हेतु डिजिटलीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। किसान सदस्यों, फील्ड कर्मचारियों और प्रबंधन टीमों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से चार समर्पित एंड्रॉइड मोबाइल एप्लिकेशन विकसित कर सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं।

1. सहायक मित्र ऐप

मुख्य विशेषताएँ: फील्ड ऑपरेशन्स के लिए स्मार्ट साथी

- दूध की स्थिति की लगभग वास्तविक समय में ट्रैकिंग (कंपोजिट, वास्तविक, डिस्पैच डेटा)
- पारदर्शी रिकवरी रिपोर्ट
- चक्रवार दूध अद्यतन
- प्रोत्साहन और बिक्री प्रदर्शन की जानकारी

प्रभाव:

यह ऐप मैन्युअल रिपोर्टिंग की जगह एक स्मार्ट डिजिटल समाधान प्रदान करता है, जिससे समय की बचत होती है और फील्ड स्तर पर कार्यक्षमता में सुधार आता है।

2. काशी ई-डेयरी ऐप 3.0

मुख्य विशेषताएँ - किसानों को डिजिटल सशक्तिकरण के माध्यम से सशक्त बनाना:

- दैनिक दुग्ध आपूर्ति की वास्तविक समय में ट्रैकिंग।
- भुगतान चक्र के अनुसार भुगतान स्थिति की निगरानी।
- पिछले लेन-देन का फिल्टरिंग एवं विवरण देखने की सुविधा।

प्रभाव:

कंपनी की पारदर्शिता एवं किसानोन्मुख सेवाओं के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता के तहत, यह ऐप दुग्ध उत्पादकों को उनकी दुग्ध आपूर्ति एवं आय की जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराता है। इससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त होती है तथा आत्मनिर्भरता और पारस्परिक विश्वास को प्रोत्साहन मिलता है।

3. फेसिलिटेटर ऐप

मुख्य विशेषताएँ: वास्तविक समय में परिचालन प्रबंधन हेतु

- कंपोजिट डिस्पैच डेटा को विस्तृत रूप से ट्रैक करना

- दैनिक बिक्री रिपोर्टिंग एवं ट्रेंड विश्लेषण
- सदस्यवार दूध योगदान लॉग
- बेहतर निर्णय लेने हेतु वास्तविक समय की जानकारी

प्रभाव:

इस ऐप के माध्यम से सभी डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर एकत्र किया गया है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि, संचालन में देरी में कमी और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

4. वेब आधारित एचआरएमएस प्रणाली में उन्नयन-2. 0

मोबाइल अनुप्रयोगों के अलावा, आईटी टीम ने कंपनी की वेब-आधारित मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को भी अपग्रेड किया है, जिससे अवकाश प्रबंधन, यात्रा विवरण की ट्रैकिंग, उपस्थिति और कर्मचारी रिकॉर्ड प्रबंधन में स्वचालन और दक्षता आई है।

प्रभाव:

आईटी विभाग (सूचना प्रौद्योगिकी विभाग) की इन डिजिटल पहलों ने कंपनी के संचालन तंत्र को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पारदर्शिता में वृद्धि, डेटा तक वास्तविक समय में पहुंच, और फील्ड तथा किसानों को सशक्त करने के साथ, कंपनी एक पूर्णतः डिजिटल और डेटा-संचालित डेयरी उद्यम बनने की दिशा में अग्रसर है।

ऊर्जा संरक्षण, अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी आत्मसात, तथा विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 तथा कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के अंतर्गत प्रस्तुत की जाने वाली जानकारियाँ निम्नानुसार हैं:

- i. ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी आत्मसात से संबंधित नियमों का भाग 'A' और 'B' वर्तमान में कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- ii. विदेशी मुद्रा अर्जन एवं व्यय:
 - अर्जन - शून्य
 - व्यय - शून्य

निदेशक मंडल की बैठकें

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी के निदेशक मंडल की कुल 10 बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	बैठक संख्या	बैठक की तिथि
1.	21 वीं बैठक	24 अप्रैल 2024
2.	22 वीं बैठक	11 मई 2024
3.	23 वीं बैठक	11 मई 2024
4.	24 वीं बैठक	4 जुलाई 2024
5.	25 वीं बैठक	6 अगस्त 2024

क्रम संख्या	बैठक संख्या	बैठक की तिथि
6.	26 वीं बैठक	18 सितम्बर 2024
7.	27 वीं बैठक	14 नवम्बर 2024
8.	28 वीं बैठक	11 जनवरी 2025
9.	29 वीं बैठक	7 मार्च 2025
10.	30 वीं बैठक	29 मार्च 2025

समिति की बैठकें

हितधारक संबंध समिति:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) के अनुसार, कंपनी के हितधारकों की शिकायतों के समाधान हेतु निदेशक मंडल द्वारा एक हितधारक संबंध समिति का गठन किया गया है। इस समिति की संरचना निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	निदेशक का नाम	पदनाम
1	श्रीमती सरिता देवी	अध्यक्ष
2	श्रीमती अंजना देवी	सदस्य
3	डॉ. मुकेश बेरीवाल	सदस्य

वित्तीय वर्ष 2024-2025 में इस समिति की एक बैठक दिनांक 29 मार्च 2025 को आयोजित की गई थी। इस अवधि के दौरान कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

ऋण, गारंटी और निवेश का विवरण

कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी ऋण, गारंटी या निवेश नहीं किया गया है।

संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध या व्यवस्थाओं का विवरण

वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा संबंधित पार्टियों के साथ किए गए सभी अनुबंध/व्यवस्थाएँ/लेन-देन सामान्य व्यापार के अनुसार और एक्ट की प्रावधानों के अनुसार 'आर्म्स लेंथ' आधार पर किए गए। कंपनी ने प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों या अन्य निर्दिष्ट व्यक्तियों के साथ कोई महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन-देन नहीं किया, जिससे कंपनी के हितों के साथ टकराव हो सकता हो। इसके अलावा, कंपनी ने वर्ष के दौरान संबंधित पार्टियों के साथ कोई ऐसा अनुबंध/व्यवस्था/लेन-देन नहीं किया, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सके या जिसे एक्ट की धारा 134(3)(h) और धारा 188 के अनुसार रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो और कंपनियों (खाते) नियम, 2014 के नियम 8(2) के अनुसार रिपोर्ट किया जाना चाहिए।"

लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143 की उपधारा (12) के तहत रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी का विवरण

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) के तहत किसी भी धोखाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गई, सिवाय उन धोखाधड़ी के जो केंद्रीय सरकार को रिपोर्टेबल हैं।

जोखिम प्रबंधन नीति

जोखिम प्रबंधन एक व्यापक और गतिशील प्रक्रिया है जिसमें संभावित जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन, और प्राथमिकता दी जाती है, साथ ही रणनीतिक कार्रवाइयां की जाती हैं जो उनके प्रभाव को न्यूनतम करने, निगरानी करने, या नियंत्रित करने के उद्देश्य से होती हैं। मुख्य उद्देश्य नकारात्मक घटनाओं की संभावना को कम करना और संभावित अवसरों की प्राप्ति को अधिकतम करना है। इसे प्राप्त करने के लिए, जोखिम प्रबंधन एक अच्छी तरह से परिभाषित ढांचे का उपयोग करता है जो जोखिमों पर प्रभावी प्रबंधन नियंत्रण सुनिश्चित करता है।

कंपनी ने जोखिम प्रबंधन नीति विकसित की है और इसे बोर्ड द्वारा अपनाया गया है।

जमाओं (Deposits) का विवरण

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के दौरान कंपनी द्वारा अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित कोई भी जमा (Deposit) स्वीकार नहीं की गई।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR)

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनियां (सीएसआर) संशोधन नियम, 2021 के अंतर्गत, कंपनी ने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) का निर्वहन किया है और एक CSR नीति को अपनाया है, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है:

<https://www.kasheemilk.com/wp-content/uploads/2025/01/CSR-POLICY.pdf>

इसके अतिरिक्त, Companies Act, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार, कंपनी पर CSR समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होती।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा CSR नीति के अंतर्गत उल्लिखित "भूख, गरीबी और कुपोषण के उन्मूलन" हेतु ₹7.48/- लाख का योगदान किया गया।

कंपनियां (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 में निर्धारित प्रारूप में CSR गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट परिशिष्ट-1 में संलग्न है।

सतर्कता तंत्र (Vigil Mechanism)

कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 177 तथा Companies (Meeting of the Board and its Powers) Rules, 2013 के नियम 6 एवं 7 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।

यहाँ आपकी दी गई सामग्री का सटीक हिंदी अनुवाद प्रस्तुत है, जिसमें वित्तीय एवं कानूनी शब्दों का ध्यानपूर्वक प्रयोग किया गया है और " वार्षिक रिटर्न के लिए वेब लिंक" को अंग्रेज़ी में ही रखा गया है, जैसा कि आपने निर्देश दिया:

वार्षिक रिटर्न की वेबसाइट लिंक

<https://www.kasheemilk.com/annual-returns/>

अन्य प्रकटन (Other Disclosures)

- a) कंपनी की कोई भी सहायक कंपनी, संयुक्त उपक्रम या संबद्ध कंपनी न तो अस्तित्व में आई है और न ही समाप्त हुई है।
- b) नियामकों, न्यायालयों अथवा अधिकरणों द्वारा कंपनी की “going concern” स्थिति और भविष्य की गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई भी महत्वपूर्ण अथवा भौतिक आदेश पारित नहीं किया गया है।
- c) कंपनी के विरुद्ध दिवालियापन और दिवालियापन संहिता, 2016 (Insolvency and Bankruptcy Code, 2016) के अंतर्गत कोई भी कार्यवाही आरंभ/लंबित नहीं है, जिससे कंपनी के व्यवसाय पर कोई भौतिक प्रभाव पड़े।

आगे की दिशा (WAY FORWARD)

- (क) **सतत डेयरी प्रथाओं को बढ़ावा देना:** कंपनी का उद्देश्य छोटे डेयरी किसानों के बीच टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल डेयरी प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है।
- (ख) **पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करना:** संचालन प्रक्रियाओं का अनुकूलन कर जल और ऊर्जा की खपत को कम करने का प्रयास किया जाएगा।
- (ग) **परियोजना का विस्तार:** एमएसवाई (MSY) योजना के अंतर्गत प्रयागराज, जौनपुर एवं कौशांबी जिलों में 1000 अतिरिक्त गांवों तक परियोजना का विस्तार करने की योजना है।
- (घ) **नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश:** उत्पादक सदस्यों के घरेलू उपयोग हेतु बायोगैस जैसे नवीकरणीय ऊर्जा समाधान में निवेश किया जाएगा।
- (ङ) **सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रोत्साहन:** डेयरी क्षेत्र में सर्वोत्तम कृषि/पालन प्रथाओं को बढ़ावा देना जारी रखा जाएगा ताकि उत्पादन क्षमता बढ़े और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में कमी आए।
- (च) **डिजिटल तकनीकों को अपनाना:** कार्यकुशलता और पारदर्शिता बढ़ाने हेतु उन्नत डिजिटल तकनीकों को अपनाया जाएगा।
- (छ) **उद्योग में अग्रणी भूमिका निभाना:** कंपनी को एक जिम्मेदार और पर्यावरण-जागरूक उद्योग नेता के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ज) *हरित भविष्य में योगदान*: एक अधिक सतत एवं पर्यावरण-अनुकूल भविष्य के निर्माण हेतु विविध पहलों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

आभार एवं सम्मान

कंपनी के निदेशक मंडल, कंपनी के सदस्यों, व्यापार सहयोगियों तथा बैंकों द्वारा वर्ष के दौरान प्रदान किए गए सहयोग और समर्थन के लिए हार्दिक आभार एवं प्रशंसा व्यक्त करता है।

आपके निदेशक इस अवसर पर एनआरएलएम, यूपीएसआरएलएम एवं एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को उनके निरंतर सहयोग एवं प्रोत्साहन हेतु विशेष धन्यवाद प्रकट करते हैं।

निदेशक मंडल कंपनी के सभी कर्मचारियों एवं संबंधित सभी व्यक्तियों की उत्साही सहभागिता, कठिन परिश्रम एवं निष्ठा के लिए भी प्रशंसा व्यक्त करता है, जिनके बिना कंपनी की सर्वांगीण प्रगति एवं विकास संभव नहीं हो पाता।

दिनांक: 23/07/2025

स्थान: वाराणसी

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

हस्ताक्षरित.

श्रीमती सरिता देवी

अध्यक्ष

DIN: 09687193

हस्ताक्षरित

श्रीमती अंजना सिंह

निदेशक

DIN:10190931

परिशिष्ट - I

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट
(कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135 तथा कंपनियों [कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति] नियम,
2014 के नियम 8 के अंतर्गत)

1. कंपनी की CSR नीति की संक्षिप्त रूपरेखा:

सतत व्यापार प्रथाओं के साथ-साथ, कंपनी पर्यावरणीय, सामाजिक आवश्यकताओं एवं हमारे चारों ओर की समुदायों पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। कंपनी की CSR नीति का उद्देश्य लाभार्थियों के जीवन में एक सार्थक और दीर्घकालिक प्रभाव उत्पन्न करना है। वांछित प्रभाव प्राप्त करने हेतु, कंपनी अपने संसाधनों का उपयोग कुछ विशेष रणनीतिक क्षेत्रों में करती है, न कि उन्हें अनेक क्षेत्रों में बिखरने में।

कंपनी की CSR नीति, कंपनियों अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII के अनुरूप निम्नलिखित गतिविधियाँ शामिल करती है:

- (i) भूख, गरीबी और कुपोषण को समाप्त करना, “स्वास्थ्य देखभाल (निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित)” और स्वच्छता को बढ़ावा देना, जिसमें भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना शामिल है।
- (ii) शिक्षा को बढ़ावा देना, विशेष शिक्षा और रोज़गार उन्नयन हेतु व्यावसायिक कौशल विकास, विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगजनों के लिए, तथा आजीविका संवर्धन परियोजनाएँ।
- (iii) पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, पारिस्थितिकी संतुलन, वनस्पति और जीव-जंतुओं की सुरक्षा, पशु कल्याण, कृषि वानिकी, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, तथा मृदा, वायु एवं जल की गुणवत्ता बनाए रखना, जिसमें गंगा नदी के पुनरुत्थान हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित क्लीन गंगा फंड में योगदान शामिल है।

2. CSR समिति की संरचना:

प्रासंगिक नहीं (कंपनियों अधिनियम, 2013 की धारा 135(9) के अनुसार):
कंपनी पर CSR समिति के गठन की आवश्यकता लागू नहीं होती है। अतः कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति के कार्यों का निष्पादन कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा ही किया जा रहा है।

3. वेब-लिंक (Web-link) प्रदान करें:

सीएसआर समिति (CSR Committee) की संरचना, सीएसआर नीति (CSR Policy) तथा निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं (CSR Projects) कंपनी की वेबसाइट पर प्रकशित हैं:

<https://www.kasheemilk.com/wp-content/uploads/2025/01/CSR-POLICY.pdf>

4. प्रभाव मूल्यांकन (Impact Assessment) का कार्यकारी सारांश (यदि लागू हो): लागू नहीं।

5.

- (क) कंपनी का औसत शुद्ध लाभ, धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार: ₹37,413,391/-
(ख) धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत: ₹7,48,268/-
(ग) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं, कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष: शून्य
(घ) यदि कोई हो, तो चालू वित्तीय वर्ष के लिए समायोजन हेतु आवश्यक राशि: शून्य
(ङ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व [(ख) + (ग) - (घ)]: ₹7,48,268/-

6.

- (क) सीएसआर परियोजनाओं (चाहे चालू परियोजनाएं हों या अन्य) पर व्यय की गई कुल राशि: ₹7,48,268/-

वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण: शून्य

वित्तीय वर्ष के लिए गैर-चालू (Other than ongoing) परियोजनाओं पर व्यय की गई सीएसआर राशि का विवरण:

(आप यहां विवरण जोड़ सकते हैं, यदि कोई हो)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में उल्लिखित गतिविधियों की सूची से मद	क्या यह स्थानीय क्षेत्र है (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना पर व्यय की गई राशि (रु. में)	कार्यान्वयन का माध्यम - प्रत्यक्ष / कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
1	कुपोषण की समस्या के समाधान हेतु 'गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम'	अनुसूची VII (i) - भूख, गरीबी और कुपोषण की समाप्ति, "स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना, जिसमें रोकथामात्मक स्वास्थ्य देखभाल" और स्वच्छता शामिल है, जिसमें भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान और सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता शामिल है।	हाँ	चंदौली	₹7,48,268/-	कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से

- (ख) प्रशासनिक व्ययों (Administrative Overheads) पर व्यय की गई राशि: ₹0 /-
- (ग) प्रभाव मूल्यांकन (Impact Assessment), यदि लागू हो, पर व्यय की गई राशि: लागू नहीं
- (घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई राशि [(क)+(ख)+(ग)]: ₹7,48,268/-

वित्तीय वर्ष के लिए कुल व्यय की गई CSR राशि: ₹7,48,268/-

वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (रु में)

धारा 135 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अपव्ययित सीएसआर खाता में अंतरित कुल राशि

धारा 135 की उप-धारा (5) के द्वितीय प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट किसी भी कोष में अंतरित राशि

अवशेष व्यय की जाने वाली राशि (रु में)

यदि कोई अधिशेष राशि भविष्य में समायोजन हेतु उपलब्ध हो:

क्र.सं.	विवरण	राशि (रु. में)
(i)	कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत, धारा 135 की उप-धारा (5) के अनुसार	₹7,48,268/-
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	₹7,48,268/-
(iii)	वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई अधिशेष राशि (ii - i)	शून्य
(iv)	पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की सीएसआर परियोजनाओं/कार्यक्रमों/गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष राशि, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजन हेतु उपलब्ध राशि	शून्य

7. पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए अव्ययित कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) राशि का विवरण: लागू नहीं

8. क्या वित्तीय वर्ष के दौरान CSR राशि से कोई पूंजीगत परिसंपत्ति निर्मित या अधिग्रहित की गई है? लागू नहीं

यदि हाँ, तो निर्मित/अधिग्रहीत की गई पूंजीगत परिसंपत्तियों की संख्या दर्ज करें: लागू नहीं

वित्तीय वर्ष के दौरान CSR राशि से निर्मित या अधिग्रहीत ऐसी परिसंपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करें:

क्र.सं.	संपत्ति/परिसंपत्तियों का संक्षिप्त विवरण (संपूर्ण पता और स्थान सहित)	पिन कोड	परिसंपत्ति निर्माण की तिथि	व्यय की गई CSR राशि	संपत्ति के पंजीकृत स्वामी का विवरण (संस्था/प्राधिकरण/लाभार्थी)	CSR पंजीकरण संख्या (यदि लागू हो)	नाम	पंजीकृत पता
लागू नहीं								

9. यदि कंपनी विगत तीन वित्तीय वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के दो प्रतिशत या उसके किसी भाग को व्यय करने में असफल रही हो, तो बोर्ड की रिपोर्ट में उसके कारणों का उल्लेख किया जाना चाहिए: लागू नहीं

दिनांक: 23/07/2025

स्थान: वाराणसी

निदेशक मंडल की ओर से एवं उनके लिए

हस्ताक्षरित.

श्रीमती सरिता देवी

निदेशक अध्यक्ष

DIN: 09687193

हस्ताक्षरित.

डॉ. मुकेश बेरीवाल

मुख्य कार्यपालक एवं निदेशक

DIN: 10697848

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों के लिए वित्तीय विवरणों की ऑडिट पर रिपोर्ट

राय

हमने काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षा करी है, जिसमें 31 मार्च, 2025 की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, और नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के नोट्स भी शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी उचित तरीके से प्रदान करते हैं और एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं। कंपनी (लेखा मानक) नियम, 2015 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्धारित लेखा मानकों के अनुरूप जैसा कि संशोधित है और भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए अन्य लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप, 31 मार्च 2025, को समाप्त वर्ष के लिए लाभ, और नकदी प्रवाह।

राय के लिए आधार

हमारे अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्दिष्ट अंकेक्षण मानकों को (SAs) के अनुसार वित्तीय विवरणों का अंकेक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमारे उत्तरदायित्वों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के भाग के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षणों के उत्तरदायित्व में स्पष्ट किया गया है। हम इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ("आईसीएआई") द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र है, जो उन नैतिक आवश्यकताओं के साथ है जो अधिनियम और नियमों के अधीन बनाये गए प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के लिए प्रासंगिक हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा विश्वास है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वह हमारी राय के प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक, व्यावसायिक उत्तरदायित्व रिपोर्ट शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण एवं हमारी अंकेक्षणों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वित्तीय विवरणों पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार के आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करेंगे।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी उत्तरदायित्व अन्य सूचनाओं को पढ़ना है ऐसा करने में, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों के साथ भौतिक रूप से असंगत है या हमारी लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त हमारी जानकारी या अन्यथा भौतिक रूप से मिथ्यकथान प्रकट होती है यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी का एक महत्वपूर्ण मिथ्यकथान विवरण है, तो हमें इस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। हमारे पास इस संबंध में रिपोर्ट करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134 (5) में वर्णित विषय एवं कंपनी के निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने के संबंध में बताए गए मामलों के लिए उत्तरदायी है, जो कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रभाव का सही और उचित दृष्टिकोण देते हैं। कंपनी लेखा (नियम) 2014 के नियम के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखा मानकों सहित भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार है। इसमें कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड का रखरखाव उचितलेखा नीतियों का चयन और उपयोग विवेकपूर्ण एवं उचित अनुमान लगाना भी शामिल है जो वित्तीय विवरण तैयार करने एवं उनका प्रस्तुतीकरण करने हेतु कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली तैयार कर उसे लागू करने तथा उसे बनाए रखना है जिससे कंपनी के वित्तीय लेखे की सही और उचित जानकारी प्रदान करें और जो धोखेबाजी तथा त्रुटि पूर्ण तथ्यात्मक गलत कथनों से मुक्त हो।

वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन और निदेशक मंडल कंपनी की निरंतरता के लिए क्षमता का आंकलन करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को बेचने या बंद करने का निर्णय नहीं ले, या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक में विकल्प न हो।

लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी अथवा त्रुटि से मुक्त हैं, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। जो उचित स्थिति का प्रस्तुतीकरण है, लेकिन यह दावा नहीं है कि (SAs) के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी तथ्य के गलत एवं गलतियों जो धोखाधड़ी, त्रुटि से उत्पन्न होती है, जो व्यक्तिगत अथवा सामुहिक हो सकती है, का पता लगायेगा। इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित उपेक्षा की जा सकती है।

(SAs) के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और सम्पूर्ण ऑडिट के दौरान इस पेशेवर रूप को बनाए रखते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण भौतिक मिथ्यकथन के जोखिमों की पहचान और उनका आंकलन करते हैं, चाहे वे धोखाधड़ी, या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन, और निष्पादित करते हैं, और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त, और उपयुक्त हो। धोखाधड़ी के परिणाम स्वरूप होने वाली भौतिक मिथ्य कथन का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि, के परिणाम स्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिली भगत, जल साजी, जानबूझकर गलती मिथ्यकथन, या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- लेखा परीक्षा के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करना ताकि लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन किया जा सके, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त है कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3)1 के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण वित्तीय प्रणाली है और ऐसे नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता है।
- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों की तर्कसंगति और संबंधित प्रकृटीकारण का मूल्यांकन करते हैं।
- लेखांकन के जारी रखने के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर और प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष निकाले, कि क्या ऐसी घटनाओं या परिस्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो कंपनी की जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह उत्पन्न करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं, कि एक भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षा की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकृटीकारण पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसा प्रकृटीकारण अपर्याप्त है, तो अपनी राय को संशोधित करते हैं। हमारा निष्कर्ष हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट तारीख तक प्राप्त ऑडिट साक्ष्य पर आधारित है। हालांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी जारी संस्था के रूप में काम करने में रुकावट उत्पन्न कर सकती है
- वित्तीय विवरणों की संपूर्ण प्रस्तुति, संरचना और सारांश, प्रकृटीकारण सहित का मूल्यांकन करते हैं, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति हो सके।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों के साथ अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में संवाद करते हैं, जिसमें आंतरिक नियंत्रण में कोई भी महत्वपूर्ण कमियाँ शामिल हैं जिन्हें हम अपनी लेखापरीक्षा के दौरान पहचानते हैं।

हम शासन के प्रभारी अधिकारियों को यह भी बताते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं, और जहाँ लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय भी करते हैं।

जैसा कि अधिनियम की धारा 143(3) द्वारा अपेक्षित अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं रिपोर्ट है, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

1. जैसा कि भारत सरकार द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में प्रदान किया गया है, (ऑडिटर रिपोर्ट) आदेश, 2016 ("आदेश"), हम आदेश के पैराग्राफ 3 में "अनुमानक ए" और 4 निर्दिष्ट मामलों पर, लागू सीमा तक, एक बयान दें।
 2. (ए) अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - ए. हमने वह सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त करने में सक्षम हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे ऑडिट के उद्देश्य के लिए आवश्यक थे।
 - बी. हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी पर लागू कानूनी अधिनियम द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।
 - सी. हमारी राय में इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।
 - डी. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - ई. 31 मार्च, 2025 को कंपनी के निदेशकों से प्राप्त लिखित प्रस्तुतीकरण तथा निदेशक मंडल के 31 मार्च, 2025 के रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी निदेशक अधिनियम की धारा 164(2) के संदर्भ में, एक निदेशक के रूप में, नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं है।
 - एफ. कंपनी के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक बी" में हमारी रिपोर्ट देखें।
 - जी. कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के भाग IV की धारा 378 ZG की आवश्यकता के अनुसार, हम "अनुलग्नक सी" में उस अनुभाग में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण देते हैं।
- (बी) कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11 के अनुसार, ऑडिट रिपोर्ट में शामिल किया जाना है ज्ञात होने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और दी गई जानकारी के अनुसार स्पष्टीकरण के अनुसार हम:

- ए) कंपनी के वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति पर 31 मार्च, 2025 तक कोई भी मुकदमा लंबित नहीं है। वित्तीय विवरण के लिए नोट संख्या 30 देखें।
- बी) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।
- सी) ऐसी कोई राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने की आवश्यकता थी।
- डी) (i) प्रबंधन ने प्रतिनिधित्व किया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा विदेशी संस्थानों सहित किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गयी है। (ऋण ली गया धनराशि या शेयर प्रीमियम या किसी अन्य स्रोत या किसी भी प्रकार के फंड से)
- प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की ओर से या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार नहीं किया गया या निवेश किया गया ("अंतिम लाभार्थी")
 - अंतिम लाभार्थियों को या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई गारंटी प्रदान नहीं की गयी।
(ii) प्रबंधन ने दर्शाया है कि, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित कंपनी द्वारा, चाहे वह समझ में दर्ज की गई हो या लिखित रूप से या अन्यथा, किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।
 - प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी की ओर से या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार दें या निवेश करें ("अंतिम लाभार्थी")
 - अंतिम लाभार्थियों की ओर से या उनकी ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज प्रदान करना और
iii) ऐसी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर जिन्हें परिस्थितियों में उचित और उचित माना जाता है, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपखंड (डी) (i) और (डी) (ii) के तहत अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है।
- ई) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 30 में कहा गया है:
- (i) पिछले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और भुगतान अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।
- (ii) निदेशक मंडल ने मार्च 31, 2025 को पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर भुगतान किए जाने वाले अंतिम लाभांश का प्रस्ताव दिया है। प्रस्तावित लाभांश आगामी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित लाभांश अधिनियम की धारा 123, जैसा लागू हो, के अनुसार है।
- एफ) (i) हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच भी शामिल है, कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खाते की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल रिकॉर्ड करने की सुविधा है (लॉग संपादित करें) सुविधा।
- (ii) कंपनी ने दूध संग्रह में मात्रा और एफएटी/एसएनएफ की रिकॉर्डिंग के लिए सार्थक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) रिकॉर्ड करने की सुविधा सक्षम है।
- (iii) इसके अलावा, उस अवधि के लिए जहां ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सक्षम और संचालित किया गया था, हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई उदाहरण नहीं मिला।
- (सी) अधिनियम की धारा 197(16) के तहत लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले मामले के संबंध में: हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी द्वारा चालू वर्ष के दौरान अपने निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया गया। तदनुसार, अधिनियम की धारा 197 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्य
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 508592

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध ए

(31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और उसके लिए वित्तीय विवरणों पर काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्यों को सम तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' अनुभाग के तहत पैराग्राफ 1 में संदर्भित)

- (i) (ए) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अन्य अमूर्त संपत्तियों के संबंध में।
- 1) कंपनी ने आम तौर पर संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।
 - 2) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
- (बी) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा सत्यापन के एक नियमित कार्यक्रम के अनुसार संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया था, जो हमारी राय में, उचित अंतराल पर सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के भौतिक सत्यापन का प्रावधान करता है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गईं।
- (सी) कंपनी के पास फ्रीहोल्ड या लीज होल्ड भूमि और भवन की कोई अचल संपत्ति नहीं है और इसलिए सीएआरओ 2016 के खंड (i)(सी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति सहित) या अमूर्त संपत्ति, या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
- (ई) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू या लंबित नहीं है।
- (ii) (ए) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है, और प्रबंधन द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएं और कवरेज उचित थे। भौतिक स्टॉक और बुक रिकॉर्ड के बीच सत्यापन पर कोई विसंगतियां नहीं देखी गईं, जो इन्वेंट्री के प्रत्येक वर्ग के लिए कुल मिलाकर 10% या अधिक थीं।
- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है।
- (iii) हमें प्राप्त जानकारी एवं स्पष्टीकरणों तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के आधार पर, यह पाया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) या किसी अन्य पक्ष को न तो कोई निवेश किया है, न ही कोई गारंटी या प्रतिभूति प्रदान की है, और न ही किसी प्रकार का ऋण (सुरक्षित या असुरक्षित) या अग्रिम राशि दी है।
- iv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 के तहत निर्दिष्ट कोई ऋण नहीं दिया है, या कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के तहत निर्दिष्ट कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है। इसके अलावा, कंपनी ने दिए गए ऋण और किए गए निवेश के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया।
- v) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है और अधिनियम की धारा 73 से 76 के अर्थ के भीतर वर्ष की शुरुआत में कोई अनधियाचित जमा नहीं किया गया था और कंपनियां (जमा की स्वीकृति) नियम, 2014 (संशोधित) तदनुसार, आदेश के खंड 3 (अ) के प्रावधान लागू नहीं हैं। कंपनी ने किसी भी जमा या राशि को स्वीकार नहीं किया है जिसे जनता से जमा माना जाता है। तदनुसार, ऑर्डर का क्लॉज 3 (वी) लागू नहीं है।
- vi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, केंद्र सरकार ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148(1) के तहत इसके द्वारा निर्मित उत्पादों (और/या इसके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं) के लिए लागत रिकॉर्ड के रखरखाव को निर्धारित नहीं किया है। तदनुसार, आदेश की धारा 3(vi) लागू नहीं होती है।
- vii) (ए) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर सहित अविवादित वैधानिक बकाया के संबंध में खाते की किताबों में कटौती / अर्जित राशि जीएसटी), भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, सीमा शुल्क, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया आम तौर पर उचित अधिकारियों के पास नियमित रूप से जमा किए जाते रहे हैं।
- हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2025 तक जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया के संबंध में उनके देय होने की तारीख से छह महीने से अधिक देय कोई भी निर्विवाद राशि बकाया नहीं थी।

- (बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, जीएसटी, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर या अन्य वैधानिक का कोई बकाया नहीं है, जोकि विवाद के कारण कंपनी द्वारा जमा नहीं की गई है।
- viii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने किसी भी लेनदेन और सरेंडर या खुलासा नहीं किया है, जो आयकर अधिनियम, 1961 के तहत वर्ष के दौरान खाते की किताबों में आय के रूप में दर्ज नहीं किया गया था।
- ix) ए) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने ऋणों या उधारों के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में कोई चूक नहीं की है। महाजन कंपनी ने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान से कोई ऋण नहीं लिया है और कोई डिबेंचर जारी नहीं किया है।
बी) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी की बैलेंस शीट की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाए गए किसी भी फंड का उपयोग दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।
सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है। जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(ix)(ई) लागू नहीं है।
डी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा निष्पादित प्रक्रियाओं के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित अपनी सहायक कंपनियों में रखी गई प्रतिभूतियों की प्रतिज्ञा पर वर्ष के दौरान ऋण नहीं उठाया है। तदनुसार, खंड आदेश का 3(ix)(एफ) लागू नहीं है।
- x) ए) कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(x)(ए) लागू नहीं होता है।
बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण या आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार वर्ष, आदेश के खंड 3(x) (बी) में निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और धारा 62 की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।
- xi) ए) कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की जांच के आधार पर और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, ऑडिटिंग पर मानकों में उल्लिखित भौतिकता के सिद्धांतों पर विचार करते हुए, हम रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा के दौरान कंपनी या कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं हुई है।
बी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उपधारा (12) कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के तहत कोई भी रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में ऑडिटर द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष एडिट-4 दाखिल नहीं किया गया है।
सी) प्रबंधन द्वारा हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण करते समय कंपनी को वर्ष के दौरान कोई व्हिसलब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई।
- xii) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xii) लागू नहीं होता है।
- xiii) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, लागू लेखांकन मानकों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ वित्तीय विवरणों में लेनदेन, जहां लागू हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में, और संबंधित पक्ष लेनदेन के विवरण का खुलासा किया गया है।
- xiv) ए) हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारी ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर, हमारी राय में, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के अनुरूप एक आंतरिक ऑडिट प्रणाली है।
- xv) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों या अपने निदेशकों से जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है और इसलिए, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान हैं कंपनी पर लागू नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xv) के प्रावधान लागू नहीं होते हैं।
- xvi) ए) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(ए) लागू नहीं है।
बी) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(बी) लागू नहीं है।
सी) कंपनी एक कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी (सीआईसी) नहीं है जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए नियमों में परिभाषित किया गया है। तदनुसार, आदेश का खंड 3(xvi)(सी) लागू नहीं होता है।
डी) ऑडिट के दौरान हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, समूह के पास कोई सीआईसी नहीं है। तदनुसार, खंड 3(xvi)(डी) की आवश्यकताएं लागू नहीं होती हैं।
- xvii) कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।
- xviii) हम रिपोर्ट करते हैं कि वर्ष के दौरान वैधानिक लेखा परीक्षकों का कोई इस्तीफा नहीं हुआ है और तदनुसार आदेश के खंड 3 (xviii) के तहत रिपोर्टिंग कंपनी पर लागू नहीं है।
- xix) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और वित्तीय अनुपात, वित्तीय संपत्तियों की वसूली और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी, निदेशक मंडल के बारे में हमारी जानकारी के आधार पर और प्रबंधन योजनाओं और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्यों की हमारी जांच के आधार पर, हमारे ध्यान में कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है कि

कंपनी अपनी बैलेंस शीट की तारीख पर, या बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर मौजूदा देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तारीख तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं, और न ही कोई आश्वासन देते हैं, कि कंपनी की बैलेंस शीट की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा, जब भी उनका बकाया हो।

- xx) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) और 3(xx)(बी) लागू नहीं होते हैं।
- xxi) आदेश के खंड 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में लागू नहीं है। तदनुसार, इस रिपोर्ट में उक्त खंड के संबंध में कोई टिप्पणी शामिल नहीं की गई है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्जी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक ब

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

(सम दिनांक की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकता अनुभाग पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 2 (ए) (एफ) को संदर्भित) हमने उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के साथ-साथ 31 मार्च 2025 तक काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन और निदेशक मंडल की जिम्मेदारियाँ

कंपनी का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर ("आईसीएआई") द्वारा जारी मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय विवरण मानदंडों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी के व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जिसमें कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना शामिल था। लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी शामिल थी।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे ऑडिट के आधार पर कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने अपना ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और कंपनियों के अधिनियम, 2013, की धारा 143 (10), तहत निर्धारित ऑडिटिंग मानकों के अनुसार किया। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर लागू सीमा तक, उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी भौतिक मामलों में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे ऑडिट में वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएँ निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद जोखिम का आकलन करना और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी ऑडिट राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में किसी कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई प्रक्रिया है। वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेनदेन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाती हैं (ii) उचित आश्वासन प्रदान करें कि लेनदेन को आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियाँ और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं ; और (iii) कंपनी की संपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करें, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की सीमाएँ

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों को ओवरराइड करने की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलतबयानी हो सकती है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता है। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या अनुपालन की डिग्री के कारण नीतियाँ या प्रक्रियाएँ बिगड़ सकती हैं।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, वित्तीय विवरणों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं और वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर, ऐसे नियंत्रण 31 मार्च, 2025 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार कर रही है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्जी

पार्टनर

सदस्यता संख्या: 508592

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सी

(हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के अंतर्गत पैराग्राफ 7 में संदर्भित 'अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट अनुभाग' के)

- i. वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री से देय ऋण की राशि वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 17 में बताई गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वित्तीय विवरण के नोट नंबर 17 में बताए गए किसी भी ऋण को वसूली के लिए संदिग्ध नहीं माना जाता है।
- ii. 31 मार्च, 2025 को नकद और नकद समकक्ष को प्रबंधन द्वारा भौतिक रूप से सत्यापित किया गया है और ऐसे सत्यापन पर कोई विसंगति सत्यापित नहीं की गई है। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई निवेश प्रतिभूतियाँ नहीं हैं।
- iii. 31 मार्च, 2025 को संपत्तियों और देनदारियों का विवरण 31 मार्च, 2025 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुसार है।
- iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया है जो कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के प्रावधानों के विपरीत प्रतीत हो।
- v. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अपने निदेशकों को कोई ऋण नहीं दिया है।
- vi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई दान या सदस्यता नहीं दी है।

एन. आर. एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट
एफआरएन: 312101ई

महुआ भट्टाचार्जी
पार्टनर
सदस्यता संख्या: 508592

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए चिह्न

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक रुपये	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक रुपये
अ समता एवं दायित्व			
1 अंशधारक कोष			
(ए) अंश पूंजी	3	514.60	319.96
(बी) संचित एवं अधिशेष	8	1,038.96	837.51
		1,553.56	1,157.47
2 आवंटन हेतु लंबित अंश आवेदन राशि	42	12.37	51.42
3 स्थगित अनुदान	9	1,146.36	996.89
4 गैर चालू दायित्व			
(ए) दीर्घ विधि उधर		—	—
(बी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां (NET)		—	—
(सी) अन्य दीर्घकालिक देनदारियां		—	—
(डी) दीर्घकालिक अवधि प्रावधान	10	19.98	10.16
		19.98	10.16
5 चालू दायित्व			
(ए) अल्पकालीन उधार		—	—
(बी) व्यापारिक देनदारिया			
(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि	11	35.29	—
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि		994.81	877.07
(iii) अन्य चालू दायित्व	12	399.69	264.06
(iv) लघु अवधि प्रावधान	13	93.15	255.24
कुल		1,522.93	1,396.37
		4,255.20	3612.31
ब संपत्तियाँ			
1 गैर चालू संपत्तिया			
(ए) संपत्ति संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति			
(i) संपत्ति संयंत्र और उपकरण	4	1,148.88	989.21
(ii) अमूर्त संपत्ति	5	0.35	3.03
(iii) कार्य में लगी पूंजी	6	13.62	9.26
(iv) विकासाधीन अमूर्त संपत्तियाँ		—	—
(बी) आस्थगित कर संपत्ति (शुद्ध)	14	10.67	6.74
(सी) दीर्घ अवधि ऋण एवं अग्रिम		—	—
(डी) अन्य गैर-चालू संपत्ति	15	1.26	1.26
		1,174.78	1,009.50
2 चालू संपत्तिया			
(ए) इन्वेंटरी	16	177.05	171.31
(बी) व्यापारिक लेनदारिया	17	930.20	1,297.01
(सी) रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य	18	1,886.38	894.02
(डी) अल्पकालीन ऋण और अग्रिम	19	2.04	3.23
(ई) अन्य चालू संपत्ति	20	84.76	237.24
कुल		3,080.42	2,602.81
		4,255.20	3,612.31
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मूकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

वाराणसी
23.07.2025

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

विवरण	नोट संख्या	रुपये लाखों में	
		31 मार्च 2025 तक रुपये	31 मार्च 2024 तक रुपये
1 परिचालक से राजस्व	21	19,560.26	18,598.12
2 अन्य आय	22	356.51	1,001.18
3 कुल राजस्व (1+2)		19,916.77	19,599.30
4 व्यय			
(ए) व्यापार में लगे स्टॉक की खरीद	23	16,584.36	16,313.65
(बी) खरीद व्यय	24	1,136.53	792.60
(सी) व्यवसाय में लगे स्टॉक में परिवर्तन	25	(9.35)	(107.81)
(डी) कर्मचारी लाभ व्यय	26	276.66	241.10
(ई) लागत वित्त	27	—	—
(एफ) मूल्यहास्य और परिशोधन व्यय		3.09	1.98
(जी) अन्य व्यय	28	1,670.80	1,488.17
कुल व्यय		19,662.09	18,729.70
5 कर पूर्व लाभ (3-4)		254.68	869.61
6 कर व्यय			
(ए) चालू कर		73.79	243.73
(बी) स्थगित कर		(3.92)	(3.78)
(सी) पहले के वर्षों में संबंधित लघु / (अतिरिक्त) आयकर		(42.24)	40.89
कुल कर (ए+बी+सी)		27.63	280.84
7 व्यापार के लिए लाभ (5-6)		227.05	588.77
प्रति समता अंश आय (नॉमिनल वैल्यू रुपये 100 प्रति अंश)			
(ए) मूल	33	12	113
(बी) डाईल्यूटेड		12	113
वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले साथ में दिए गए नोट देखें	2		

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

वाराणसी
23.07.2025

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
31 मार्च 2025 को समाप्त अवधि के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण

विवरण	नोट संख्या	31 मार्च 2025 तक रुपए	रुपए लाखों में 31 मार्च 2024 तक रुपए
ए परिचालन गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
वर्ष के लिए लाभ हानि		227.05	588.77
समायोजन के लिए			
कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान		9.82	4.81
मूल्याहस एवं परिशोधन व्यय		3.09	1.98
संपत्ति संयंत्र उपकरण और अमूर्त संपत्ति की बिक्री पर हानि/(लाभ)		—	—
अनुदान की प्राप्त ब्याज		—	—
कार्यशील पूंजी में बदलाव से पूर्व परिचालन लाभ		239.96	595.57
कार्यशील पूंजी में बदलाव के लिए समायोजन			
इन्वेंटरी में कमी/(वृद्धि)		152.49	(233.55)
व्यापार प्राप्तियां में कमी/(वृद्धि)		(5.74)	(106.93)
ऋण और अग्रिम में कमी/(वृद्धि)		366.80	(984.89)
व्यापारिक देयताओं में वृद्धि/(कमी)		1.20	(0.03)
अन्य चालू दिन देनदारियों में वृद्धि/(कमी)		153.02	614.99
अल्पकालिक प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)		135.63	35.74
संचालन से उत्पन्न नकद		(162.09)	242.95
शुद्ध आयकर (भुगतान किया गया) घनवापसी		641.31	(431.74)
परिचालन गतिविधियों से/(में प्रयुक्त) से शुद्ध नकदी प्रवाह (ए)		881.27	163.83
(बी) विनियोग गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
सीडब्ल्यू आईपी सहित संपत्ति संयंत्र उपकरण और अमूर्त प्राप्त ब्याज		(281.12)	(425.66)
		266.15	444.77
		—	—
प्रावधान- गैर चालू		(3.92)	(2.34)
विनययोगात्मक गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		(18.89)	16.77
भुगतान के लिए प्रत्यक्ष कर		—	—
(सी) वित्तीय गतिविधियों से रोकड़ प्रवाह			
इक्विटी शेयर जारी करने से प्राप्तियां		155.59	294.94
दीर्घकालीन उधार से प्राप्तियां		—	—
कार्यशील पूंजी उधार में निवल वृद्धि/(कमी)		—	—
लाभांश दिया		(25.60)	(5.71)
वित्तीय गतिविधियों से शुद्ध रोकड़ प्रवाह		129.99	289.23
रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य में शुद्ध कमी/वृद्धि (ए+बी+सी)		992.36	469.83
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य का प्रारंभिक शेष		—	—
अंतिम रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य		894.02	424.19
रोकड़ एवं रोकड़ वित्तीय विवरण इस प्रकार है :		1,886.38	894.02
जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य रोकड़ प्रवाह विवरण		1,886.38	894.02
बैलेंस शीट के अनुसार जोड़े रोकड़ एवं रोकड़ तुल्य (नोट 15)		1,886.38	894.02

संलग्न हमारी रिपोर्ट के संदर्भ में
एन आर असोसिएट्स की ओर से
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
ए आर एन : 312101ई

ह./—
महुआ मट्टाचार्जी
साझेदारी
सदस्यता संख्या : 508592

दिल्ली

निदेशक मंडल के लिए उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सी ई
डी आई एन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डी आई एन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डी आई एन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवती
कंपनी सचिव
एम संख्या : ए45196

वाराणसी
23.07.2025

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

1. कॉर्पोरेट जानकारी

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") को कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 11 नवंबर, 2021 को शामिल किया गया था।

कंपनी ने 9 मार्च, 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में खरीद कार्य शुरू कर दिया है। कंपनी वाराणसी और उसके आसपास के गांवों में "मिल्क पूलिंग पॉइंट्स" (एमपीपी) के माध्यम से दूध उत्पादकों से सीधे दूध खरीदती है और इसे मदर डेयरी फ्रूट एंड वैजिटेबल ड्राइवेट लिमिटेड, एनडीडीबी डेयरी सर्विस और खुले बाजार में अन्य डेयरियों को बेचती है।

2. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

(ए) लेखांकन का आधार

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत सम्मेलन के तहत प्रोद्भवन आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरण तैयार करने में अपनाई गई लेखांकन नीतियों पिछले वर्ष अपनाई गई नीतियों के अनुरूप हैं।

(बी) अनुमानों का उपयोग

वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को रिपोर्टिंग अवधि के दौरान वित्तीय विवरणों की तारीख और रिपोर्ट की गई आय और व्यय के अनुसार परिसंपत्तियों और देनदारियों (आकस्मिक देनदारियों सहित) की रिपोर्ट की गई मात्रा में अनुमान और अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। प्रबंधन का मानना है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में उपयोग किए गए अनुमान विवेकपूर्ण और उचित हैं। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं और वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच का अंतर उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात / भौतिक होते हैं।

(सी) राजस्व मान्यता

बिक्री को रिटर्न और व्यापार छूट के अलावा, महत्वपूर्ण जोखिमों और स्वामित्व के पुरस्कारों को खरीदारों को हस्तांतरित करने पर मान्यता दी जाती है, जो आम तौर पर ग्राहकों को माल की डिलीवरी के साथ मेल खाता है।

कंपनी दूध, पशु चारा और खनिज मिश्रण की बिक्री में लगी हुई है।

उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को बिक्री रिटर्न और व्यापार छूट के योग के रूप में मान्यता दी जाती है, जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, जब उत्पादों को ग्राहक तक पहुंचाया जाता है। डिलीवरी तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, हानि और इनाम का महत्वपूर्ण जोखिम स्थानांतरित कर दिया गया है, और या तो ग्राहक ने बिक्री अनुबंध के अनुसार उत्पादों को स्वीकार कर लिया है, या कंपनी ने वस्तुनिष्ठ साक्ष्य की स्वीकृति के सभी मानदंड पूरे कर दिए गए हैं।

(डी) अन्य कमाई

जमा पर ब्याज आय को समय अनुपात के आधार पर पहचाना जाता है, सदस्यों से प्रवेश शुल्क संचय के आधार पर पहचाना जाता है और राजस्व अनुदान का उपयोग संचय के आधार पर किया जाता है।

(ई) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और अमूर्त संपत्ति

अचल संपत्तियों को संचित मूल्यहास / परिशोधन और हानि हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत पर ले जाया जाता है। अचल संपत्तियों की लागत में किसी भी व्यापार छूट और छूट, किसी भी आयात शुल्क और अन्य करों (कर अधिकारियों से बाद में वसूली योग्य के अलावा) के अलावा इसकी खरीद मूल्य, परिसंपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने पर कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय, अन्य शामिल हैं। परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने की तारीख तक योग्य अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के कारण होने वाले आकस्मिक खर्च और उधार पर ब्याज। अचल संपत्तियों की खरीद / पूरा होने के बाद उन पर होने वाले व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है, यदि ऐसे व्यय के परिणामस्वरूप ऐसी संपत्ति से भविष्य में होने वाले लाभ में प्रदर्शन के पहले से निर्धारित मानक से अधिक वृद्धि होती है।

(एफ) कैपिटल कार्य – प्रगति पर

जो संपत्तियां अभी अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें लागत पर ले जाया जाता है, जिसमें प्रत्यक्ष लागत, संबंधित आकस्मिक व्यय और जिम्मेदार ब्याज शामिल होते हैं।

(जी) मूल्यहास और परिशोधन

(i) परिसंपत्तियों की निम्नलिखित श्रेणियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपयोगी जीवन के अनुसार मूल अचल संपत्तियों पर मूल्यहास सीधी-रेखा पद्धति पर प्रदान किया गया है। संपत्ति के जीवन का मूल्यांकन तकनीकी सलाह के आधार पर किया गया है, जिसमें संपत्ति की प्रकृति, संपत्ति का अनुमानित उपयोग, संपत्ति की परिचालन स्थिति, प्रतिस्थापन का पिछला इतिहास, प्रत्याशित तकनीकी परिवर्तन, निर्माता की वारंटी और को ध्यान में रखा गया है। रखरखाव सहायता, आदि:

संपत्ति का प्रकार	उपयोगी जीवन
मिल्क कैन	4 वर्ष
प्लांट एवं मशीनरी	10 वर्ष
कंप्यूटर	3 वर्ष
फर्नीचर एवं फिक्स्चर्स	10 वर्ष
कार्यालय उपकरण	3 वर्ष
सॉफ्टवेयर	1 वर्ष

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(ii) अचल संपत्तियों का अवशिष्ट मूल्य 1 रुपये प्रत्येक पर बरकरार रखा गया है।

(एच) संपत्ति की क्षति

यदि हानि का कोई संकेत मौजूद है तो प्रत्येक बैलेंस शीट की तारीख पर परिसंपत्तियों/नकदी पैदा करने वाली इकाइयों के अग्रणी मूल्यांकन की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। निम्नलिखित अमूर्त संपत्तियों का प्रत्येक वित्तीय वर्ष में क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है, भले ही कोई संकेत न हो कि संपत्ति क्षतिग्रस्त है:

(ए) एक अमूर्त संपत्ति जो अभी तक उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं है। और

(बी) एक अमूर्त संपत्ति जिसका परिशोधन उस तारीख से दस वर्ष से अधिक की अवधि में किया जाता है जब संपत्ति उपयोग के लिए उपलब्ध होती है।

यदि संपत्ति की वहन राशि अनुमानित वसूली योग्य राशि से अधिक है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि के लिए हानि को मान्यता दी जाती है। हानि को लाभ और हानि के विवरण में व्यय के रूप में पहचाना जाता है।

वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य और उपयोग में उनके मूल्य से अधिक है। उपयोग में आने वाला मूल्य उचित छूट कारक के आधार पर भविष्य के नकदी प्रवाह को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट देकर निकाला जाता है।

जब कोई संकेत मिलता है कि पहले की लेखांकन अवधि में किसी परिसंपत्ति के लिए पहचानी गई हानि अब मौजूद नहीं है या कम हो सकती है, तो हानि के ऐसे उलट को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, जिस हद तक राशि पहले विवरण में चार्ज की गई थी लाभ और हानि का।

(आई) इन्वेंटरी

जहां आवश्यक समझा जाता है, वहां अप्रचलन और अन्य हानियों के लिए प्रावधान करने के बाद लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर इन्वेंटरी का मूल्यांकन किया जाता है। भारत औसत विधि का उपयोग करके लागत निर्धारित की जाती है। लागत में इन्वेंट्री को उनके वर्तमान स्थान और स्थिति में लाने में लगने वाले सभी शुल्क शामिल हैं।

(जे) अनुदान

सरकारी अनुदान और सब्सिडी को तब मान्यता दी जाती है जब यह उचित आश्वासन हो कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का पालन करेगी और अनुदान/सब्सिडी प्राप्त होगी। मूल्यहास योग्य संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में माना जाता है, जिसे परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित और तर्कसंगत आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है, यानी ऐसे अनुदान से प्राप्त संपत्ति पर लागू गए मूल्यहास को विनियोजित किया जाता है। आस्थगित अनुदान से और कम मूल्यहास शुल्क के माध्यम से लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त है।

राजस्व अनुदान और सब्सिडी को आय के रूप में मान्यता दी जाती है।

(के) कर्मचारी लाभ

(ए) अल्पावधि

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले भुगतान की जाने वाली अपेक्षित अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की बिना छूट वाली राशि को उस वर्ष के दौरान मान्यता दी जाती है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करते हैं। इन लाभों में प्रदर्शन प्रोत्साहन और क्षतिपूर्ति अनुपरिस्थिति शामिल हैं जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीनों के भीतर होने की उम्मीद है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपरिस्थिति की लागत का हिसाब इस प्रकार लगाया जाता है:

(ए) संचित क्षतिपूर्ति अनुपरिस्थिति के मामले में, जब कर्मचारी ऐसी सेवाएं प्रदान करते हैं जो भविष्य में क्षतिपूर्ति अनुपरिस्थिति की उनकी पात्रता को बढ़ाती हैं। और

(बी) गैर-संचित क्षतिपूर्ति अनुपरिस्थिति के मामले में, जब अनुपरिस्थिति होती है।

कंपनी के पास परिभाषित-योगदान और परिभाषित-लाभ दोनों योजनाएं हैं। परिभाषित लाभ योजना में विशेष निधि या प्रतिभूतियों में कुछ संपत्तियां होती हैं और योजना को कंपनी द्वारा वित्तपोषित किया जाता है।

i परिभाषित-योगदान योजनाएं

भविष्य निधि में कंपनी के योगदान को परिभाषित योगदान योजनाओं के रूप में माना जाता है और आवश्यक योगदान की राशि और कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान किए जाने पर व्यय के रूप में लिया जाता है।

ii परिभाषित-लाभ योजनाएं

ग्रेज्युटी फंड के रूप में परिभाषित लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित की जाती है, जिसमें प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर बीमाकिक मूल्यांकन किया जाता है। बीमाकिक लाभ और हानि को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे घटित होते हैं। पिछली सेवा लागत को तुरंत इस हद तक पहचाना जाता है कि लाभ पहले से ही निहित हैं और अन्यथा लाभ निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधन किया जाता है। बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य को गैर-मान्यता प्राप्त पिछली सेवा लागत के लिए समायोजित करता है, जिसे योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य से घटाया जाता है। इस गणना से उत्पन्न कोई भी संपत्ति पिछली सेवा लागत, साथ ही उपलब्ध रिफंड के वर्तमान मूल्य और योजनाओं में भविष्य के योगदान में कटौती तक सीमित है।

iii. अन्य कर्मचारी लाभ

मुआवजा अनुपरिस्थिति जो उस अवधि के अंत के बाद बारह महीने के भीतर होने की उम्मीद नहीं है जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करता है, उसे बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार परिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य पर दायित्व के रूप में मान्यता दी जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(एल) आय पर कर

वर्तमान कर वर्ष के लिए कर योग्य आय पर देय कर की राशि है जो लागू कर दरों और आयकर अधिनियम, 1961 और अन्य लागू कर कानूनों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाती है।

कर कानूनों के अनुसार भुगतान किया गया न्यूनतम वैकल्पिक कर (MAT), जो भविष्य की आयकर देनदारी के समायोजन के रूप में भविष्य में आर्थिक लाभ देता है, को एक संपत्ति माना जाता है यदि इस बात का पुख्ता सबूत है कि कंपनी सामान्य आयकर का भुगतान करेगी। तदनुसार, MAT को बैलेंस शीट में एक परिसंपत्ति के रूप में मान्यता दी जाती है जब यह अत्यधिक संभावना होती है कि इससे जुड़ा भविष्य का आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेगा।

आस्थगित कर को समय के अंतर पर पहचाना जाता है, जो कर योग्य आय और लेखांकन आय के बीच अंतर होता है जो एक अवधि में उत्पन्न होता है और एक या अधिक बाद की अवधि में उलटने में सक्षम होता है। आस्थगित कर को कर दरों और रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या मूल रूप से अधिनियमित कर कानूनों का उपयोग करके मापा जाता है। आस्थगित कर देनदारियों को सभी समय अंतरों के लिए मान्यता दी जाती है। आस्थगित कर परिसंपत्तियों को अवशोषित मूल्यहास के अलावा अन्य मदों के समय के अंतर के लिए मान्यता दी जाती है और नुकसान को केवल उस सीमा तक आगे बढ़ाया जाता है जहां उचित निश्चितता मौजूद होती है कि भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी जिसके विरुद्ध इन्हें प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि, यदि अवशोषित मूल्यहास और घाटे को आगे बढ़ाया जाता है, तो आस्थगित कर परिसंपत्तियों को केवल तभी मान्यता दी जाती है, जब ठोस सबूतों द्वारा समर्थित आभासी निश्चितता हो, कि परिसंपत्तियों का एहसास करने के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। आस्थगित कर संपत्तियों और देनदारियों की भरपाई की जाती है यदि ऐसी वस्तुएं समाप्त कर कानूनों द्वारा लागू हुए आय पर करों से संबंधित हैं और कंपनी के पास इस तरह के सेट ऑफ के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार हैं। आस्थगित कर परिसंपत्तियों की उनकी वसूली के लिए प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर समीक्षा की जाती है।

भंडार में सीधे मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित वर्तमान और आस्थगित कर को भंडार में मान्यता दी जाती है न कि लाभ और हानि के विवरण में।

(एम) प्रावधान और आकस्मिकताएँ

किसी प्रावधान को तब मान्यता दी जाती है जब कंपनी पर पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर) को उनके वर्तमान मूल्य से छूट नहीं दी जाती है और बैलेंस शीट की तारीख पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। प्रत्येक बैलेंस शीट तिथि पर इनकी समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। नोट्स में आकस्मिक देनदारियों का खुलासा किया गया है। आकस्मिक संपत्तियों को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी जाती है।

(एन) उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज, सहायक लागतों का परिशोधन और विदेशी मुद्रा उधार से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर शामिल हैं, जिन्हें ब्याज लागत के समायोजन के रूप में माना जाता है। निधियों को उधार लेने से संबंधित लागत उस सीमा तक, जो सीधे तौर पर योग्य संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित नहीं है, ऋण की अवधि के दौरान लाभ और हानि के विवरण में शामिल की जाती है। योग्य परिसंपत्तियों के निर्माणविकास से संबंधित गतिविधियों की शुरुआत से लेकर ऐसी परिसंपत्ति के पूंजीकरण की तारीख तक की अवधि से संबंधित, पात्र परिसंपत्तियों के लिए आवंटित और उपयोग की गई उधार लागत को परिसंपत्तियों की लागत में जोड़ा जाता है। जब अर्हक परिसंपत्तियों पर सक्रिय विकास गतिविधि बाधित होती है, तो विस्तारित अवधि के दौरान उधार लेने की लागत का पूंजीकरण निलंबित कर दिया जाता है और लाभ और हानि के विवरण पर लगाया जाता है।

(ओ) प्रति शेयर आय

प्रति शेयर मूल आय की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या से कर के बाद लाभ/(हानि) (असाधारण वस्तुओं के कर पश्चात प्रभाव, यदि कोई हो) को विभाजित करके की जाती है। प्रति शेयर पतला आय की गणना कर के बाद लाभ/(हानि) को विभाजित करके की जाती है (असाधारण वस्तुओं के कर के बाद के प्रभाव सहित, यदि कोई हो) को व्यय या आय (किसी भी जिम्मेदार करों का शुद्ध) के लिए लाभांश, ब्याज और अन्य शुल्क के लिए समायोजित किया जाता है। डाइव्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के लिए, प्रति शेयर मूल आय प्राप्त करने के लिए विचार किए गए इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या जो सभी डाइव्यूटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी। संभावित इक्विटी शेयरों को केवल तभी डाइव्यूटिव माना जाता है यदि इक्विटी शेयरों में उनके रूपांतरण से सामान्य परिचालन जारी रखने से प्रति शेयर शुद्ध लाभ कम हो जाएगा। संभावित डाइव्यूटिव इक्विटी शेयरों को अवधि की शुरुआत में परिवर्तित माना जाता है, जब तक कि उन्हें बाद की तारीख में जारी नहीं किया गया हो।

(पी) पट्टे

पट्टा व्यवस्था जहां किसी परिसंपत्ति के स्वामित्व से जुड़े जोखिम और पुरस्कार काफी हद तक पट्टादाता के पास निहित होते हैं, उन्हें परिचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी जाती है। परिचालन पट्टों के तहत पट्टा किराये को पट्टा अवधि के दौरान सीधे रेखा के आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

(क्यू) नकदी प्रवाह विवरण

नकदी प्रवाह को अप्रत्यक्ष विधि का उपयोग करके रिपोर्ट किया जाता है, जिससे असाधारण वस्तुओं और कर से पहले लाभ/(हानि) को गैर-नकद प्रकृति के लेनदेन के प्रभाव और अतीत या भविष्य की नकद प्राप्ति या भुगतानों के किसी भी स्वरूप या संचय के लिए समायोजित किया जाता है। कंपनी के संचालन, निवेश और वित्तापोषण गतिविधियों से नकदी प्रवाह को उपलब्ध जानकारी के आधार पर अलग किया जाता है।

(आर)भौतिक घटनाआएं

बैलेंस शीट की तारीख के बाद होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को संज्ञान में लिया जाता है।

(एस)नकद और नकद समकक्ष (नकद प्रवाह विवरण के प्रयोजनों के लिए)

नकदी में हाथ में नकदी और बैंकों के पास मांग जमा शामिल हैं। नकद समतुल्य अल्पकालिक शेष (अधिग्रहण की तारीख से तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ), अत्यधिक तरल निवेश हैं जो आसानी से ज्ञात मात्रा में नकदी में परिवर्तनीय होते हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन होते हैं।

(टी) संचालन चक्र

कंपनी के उत्पादों / गतिविधियों की प्रकृति और संपत्तियों के अधिग्रहण और नकद या नकद समकक्षों में उनकी वसूली के बीच के सामान्य समय के आधार पर, कंपनी ने अपनी संपत्तियों और देनदारियों को वर्तमान के रूप में वर्गीकृत करने के उद्देश्य से अपने परिचालन चक्र को 12 महीने के रूप में निर्धारित किया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 3: शेयर पूंजी

रुपये लाखों में

विवरण	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
(ए) अधिकृत शेयर पूंजी				
रुपये 100/- प्रत्येक के 10,00,000 समता अंश	1,000,000	1000.00	5,00,000	500.00

(बी) जारी निर्गमित और पेइअप

रुपये 100/- प्रत्येक के 514597 पूर्ण प्रदत्त समता अंश 514,597 514.60 319,962 319.96

नीचे (i) से (iv) नोट देखें

(i) अंशों से जुड़े अधिकार, प्राथमिकताएं और प्रतिबंध

कंपनी के पास शेयरों की केवल एक वर्ग है जिसे इक्विटी शेयर कहा जाता है, जिसका मूल्य 100 रुपये प्रति शेयर है। प्रत्येक सदस्य का एक मत होगा, कंपनी के बशर्ते आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार सीमित रिटर्न (लाभांश) और बोनस के हकदार हैं।

(ii) वर्ष की शुरुआत और अंत में बकाया शेयरों का मिलान

रुपये 100/- प्रत्येक के समता अंश	31 मार्च 2025 तक		31 मार्च 2024 तक	
	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)	अंशों की संख्या	राशि की (रुपये)
साल की शुरुआत में बकाया शेयर	319.962	319.96	71,428	71.43
जोड़ें : वर्ष के दौरान जारी किए गए शेयर	217.648	217.65	2,54,981	254.98
घटाएं : वर्ष के दौरान रद्द किए गए शेयर	(23.013)	(23.01)	(6,447)	(6.45)
वर्ष के अंत तक	514,597	514.60	319,962	319.96

(iii) कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXIA के तहत 'निर्माता कंपनी' के रूप में पंजीकृत है और किसी भी सदस्य के पास कंपनी की 5% या अधिक शेयर पूंजी नहीं है।

(iv) वर्ष के दौरान नकद या बोनस के अलावा अन्य प्रतिफल के लिए कोई शेयर जारी नहीं किया गया है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 4: संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

रुपये लाखों में

4.1 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नेट) का विवरण इस प्रकार है: की वहन राशि:

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(ए) प्लांट एवं मशीनरी	990.93	827.15
(बी) कार्यालय उपकरण	30.47	32.77
(सी) फर्नीचर एवं फिक्स्चर	104.39	87.50
(डी) कंप्यूटर और लैपटॉप	23.09	41.79
कुल	1,148.88	989.21

4.2 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	कुल
जिला ब्लॉक					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
अतिरिक्त निपटान	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1,052.97	1,254.45
अतिरिक्त निपटान	3.01	26.82	6.06	390.19	426.08
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	70.44	120.80	45.85	1,440.37	1,677.46
संचित मूल्यहास					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
मूल्यहास व्यय निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
मूल्यहास व्यय निपटान	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
मूल्यहास व्यय निपटान	15.87	5.57	5.48	168.47	195.38
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	25.65	6.76	7.01	225.82	265.24
मूल्यहास व्यय निपटान	21.70	9.66	8.37	223.62	263.34
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	47.35	16.41	15.38	449.44	528.58
वहन राशि					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
मूल्यहास व्यय	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
मूल्यहास व्यय	—	0.02	—	0.05	0.07
मूल्यहास व्यय	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
अतिरिक्त निपटान	31.43	70.86	30.80	498.97	632.06
मूल्यहास व्यय	—	—	—	1.95	1.95
मूल्यहास व्यय	15.87	5.57	5.48	168.47	195.38
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21
अतिरिक्त निपटान	3.01	26.82	6.06	390.19	426.08
मूल्यहास व्यय	—	0.27	—	2.79	3.06
मूल्यहास व्यय	21.70	9.66	8.37	223.62	263.34
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	23.09	104.39	30.47	990.93	1,148.88
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	41.79	87.50	32.77	827.15	989.21
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	23.09	104.39	30.47	990.93	1,148.88

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

टिप्पणियाँ: पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई संपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:

विवरण	कंप्यूटर और लैपटॉप	फर्नीचर और फिक्स्चर	कार्यालय उपकरण	संयंत्र एवं मशीनरी	रुपये लाखों में कुल
सकल लागत					
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	15.08	3.51	0.61	47.70	66.89
अतिरिक्त निपटान	20.93	19.91	8.38	508.30	557.51
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	—	0.02	—	0.05	0.07
अतिरिक्त निपटान	36.01	23.39	8.98	555.95	624.33
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	31.43	70.86	30.80	495.09	628.18
अतिरिक्त निपटान	—	—	—	1.95	1.95
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	67.44	94.25	39.78	1049.10	1,250.57
अतिरिक्त निपटान	0.24	26.67	5.23	383.68	415.83
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	—	0.27	—	2.79	3.06
संयंत्र मूल्यहास	67.68	120.66	45.02	1,429.98	1,663.34
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	0.49	0.02	0.02	0.33	0.87
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.29	1.17	1.51	57.01	68.99
अतिरिक्त निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	9.78	1.19	1.53	57.35	69.85
अतिरिक्त निपटान	3.83	3.22	2.51	51.84	61.40
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	—	—	—	—	—
अतिरिक्त निपटान	13.62	4.41	4.04	109.19	131.25
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	0.00	0.25	0.17	13.94	14.36
अतिरिक्त निपटान	—	—	—	—	—
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	13.62	4.66	4.21	123.13	145.61
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	14.59	3.48	0.59	47.37	66.03
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	26.22	22.20	7.45	498.60	554.48
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	53.82	89.84	35.74	939.91	1,119.32
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.24	26.43	5.06	369.74	401.47

5. अमूर्त संपत्ति

अमूर्त संपत्ति का विवरण इस प्रकार है:	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
वहन राशि :		
सॉफ्टवेयर	0.35	3.03
कुल	0.35	3.03
अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:		
विवरण	31 मार्च 2025 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2024 तक कुल रुपये लाखों में
सकल लागत		
प्रारंभिक जमा	—	—
परिवर्धन निपटान	4.41	4.41
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.41	4.41
परिवर्धन निपटान	11.74	11.74
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	16.15	16.15
परिवर्धन निपटान	17.00	17.00
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	33.15	33.15
परिवर्धन निपटान	0.36	0.36
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	33.51	33.51

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

अमूर्त संपत्तियों के सकल ब्लॉक, मूल्यहास और शुद्ध ब्लॉक के संबंध में खुलासे नीचे दिए गए हैं:
विवरण

	31 मार्च 2025 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2024 तक कुल रुपये लाखों में
संचित मूल्यहास		
प्रारंभिक जमा	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.24	0.24
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	11.41	11.41
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	30.13	30.13
मूल्यहास व्यय	3.04	3.04
निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	33.17	33.17
वहन राशि		
1 अप्रैल, 2021 तक शेष राशि	—	—
परिवर्धन	4.41	4.41
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	0.24	0.24
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
परिवर्धन	11.74	11.74
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	11.18	11.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
परिवर्धन	17.00	17.00
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	18.71	18.71
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.03	3.03
परिवर्धन	0.36	0.36
निपटान	—	—
मूल्यहास व्यय	3.04	3.04
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.35	0.35
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	3.03	3.03
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	0.35	0.35

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

पूँजी अनुदान से खरीदी गई परिसंपत्तियों का विवरण नीचे दिया गया है:
सकल लागत आरंभिक शेष
विवरण

	31 मार्च 2025 तक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर रुपये लाखों में	31 मार्च 2024 तक कुल रुपये लाखों में
संचित मूल्यहास		
प्रारंभिक जमा	—	—
मूल्यहास व्यय	0.41	0.41
निपटान	—	—
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.41	0.41
मूल्यहास व्यय	11.74	11.74
निपटान	—	—
31 मार्च, 2023 को शेष राशि	16.15	16.15
मूल्यहास व्यय	17.00	17.00
निपटान	—	—
31 मार्च, 2024 को शेष राशि	33.15	33.15
मूल्यहास व्यय	—	—
निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 को शेष राशि	33.15	33.15
संचित मूल्यहास आरंभिक शेष		
अतिरिक्त निपटान	0.24	0.24
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	0.24	0.24
अतिरिक्त निपटान	11.18	11.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	11.41	11.41
अतिरिक्त निपटान	13.97	13.97
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	25.39	25.39
अतिरिक्त निपटान	—	—
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	25.39	25.39
31 मार्च, 2022 तक शेष राशि	4.18	4.18
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	4.74	4.74
31 मार्च, 2024 तक शेष राशि	7.77	7.77
31 मार्च, 2025 तक शेष राशि	7.77	7.77

6 पूँजीगत कार्य प्रगति पर

विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
ओपनिंग बैलेंस	—	—
वर्ष के दौरान परिवर्धन	9.26	82.50
कम: वर्ष के दौरान पूँजीकरण	267.45	369.58
समापन शेष	263.09	442.82
	13.62	9.26

टिप्पणियाँ:

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(i) पूंजीगत कार्य प्रगति पर है, उम्र बढ़ने का कार्यक्रम

31 मार्च 2025 तक CWIP में राशि	रुपये लाखों में CWIP अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएँ	11.26	2.36	—	—	13.62
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	11.26	2.36	—	—	13.62
31 मार्च 2024 तक CWIP में राशि	रुपये लाखों में CWIP अवधि के लिए				कुल
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
प्रगतिरत परियोजनाएँ	2.36	6.90	—	—	9.26
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से निलंबित	—	—	—	—	—
	2.36	6.90	—	—	9.26

(ii) उपरोक्त परिसंपत्तियाँ पूंजीगत अनुदान से खरीदी गई हैं।

रुपये लाखों में

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
प्रारंभिक शेष	2.36	10.42
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4.72	369.58
वर्ष के दौरान पूंजीकरण समापन शेष	—	377.64
	7.08	2.36

काशी गिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

		अवधि के लिए CWIP में राशि			रुपये लाखों में	
टिप्पणियाँ: (ii) मूर्त CWIP	विकास के अधीन मूर्त संपत्तियाँ	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
		6.54	—			
		अवधि के लिए CWIP में राशि			रुपये लाखों में	
अमूर्त CWIP	विकास के अधीन मूर्त संपत्तियाँ	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
		4.72	2.36	—	—	—
		अवधि समाप्त	वर्ष समाप्त		रुपये लाखों में	
टिप्पणियाँ: (iii) मूल्यहास और परिशोधन	(ए) मूर्त संपत्ति	31, मार्च 2025	31, मार्च 2024			
	(बी) अमूर्त संपत्ति	263.34	195.38			
		3.04	18.71			
		266.38	214.10			
	घटाएँ: अनुदान से प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित मूल्यहास	(263.30)	(212.12)			
		3.08	1.98			

नोट 8: आरक्षित एवं अधिशेष

विवरण		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	रुपये लाखों में
(ए) सामान्य रिजर्व				
प्रारंभिक शेष		837.51	254.45	
जोड़ें: लाम और हानि के विवरण में अधिशेष से सीनांतरित		227.05	588.77	
घटाएँ: लामांश देय		25.60	5.71	
समापन शेष		1,038.96	837.51	
(बी) लाम और हानि खाते के विवरण में अधिशेष				
अंतिम बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार शेष				
वर्ष के लिए लाम/(हानि)		227.05	588.77	
घटाएँ: सामान्य रिजर्व में स्थानांतरित		(227.05)	(588.77)	
समापन शेष		—	—	

नोट 9: आस्थगित अनुदान

विवरण		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	रुपये लाखों में
(ए) प्रारंभिक शेष		996.89	616.02	
(बी) जोड़ें: वर्ष के दौरान उपयोग किया गया पूंजीगत अनुदान (नोट संख्या 34 देखें)		412.77	592.98	
(सी) घटाएँ: वर्ष के दौरान निपटान की गई संपत्ति		—	—	
(डी) घटाएँ: अनुदान से अर्जित संपत्ति से संबंधित मूल्यहास (नोट संख्या 10 देखें)		(263.30)	(212.12)	
(ई) जोड़ें: परिसंपत्तियों के निपटान पर मूल्यहास		—	—	
समापन शेष		1,146.36	996.89	

नोट 10: दीर्घकालिक प्रावधान

विवरण		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक	रुपये लाखों में
प्रेच्युटी का प्रावधान		9.06	2.61	
अवकाश नकदीकरण का प्रावधान		8.33	6.01	
बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान		2.59	1.54	
कुल		19.98	10.16	

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 11: ड्रैड देय

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(ए) सूक्ष्म और लघु उद्यमों का कुल बकाया (नीचे नोट 1 देखें)	35.29	—
(बी) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर अन्य लेनदारों का कुल बकाया	994.81	877.07
कुल	1,030.09	877.07

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के अनुसार प्रकटीकरण		
(ए) (i) किसी भी आपूर्तिकर्ता को बकाया मूल राशि	35.29	—
(ii) उस पर देय ब्याज	—	—
(बी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार भुगतान किया गया ब्याज और नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	—	—
(सी) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज के अलावा भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय ब्याज	—	—
(डी) अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक	—	—
(ई) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत कटौती योग्य व्यय की अस्वीकृति के प्रयोजन के लिए अगले वर्षों में भी देय और देय शेष ब्याज।	—	—

ii) व्यापार देय उम्र निर्धारण अनुसूची

विवरण	रुपये लाखों में				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2025 तक					
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	35.29	—	—	—	35.29
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	994.81	—	—	—	994.81
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
कुल	1,030.09	—	—	—	1,030.09

विवरण	रुपये लाखों में				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2024 तक					
(i) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का कुल बकाया	—	—	—	—	—
(ii) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया	877.07	—	—	—	877.07
(iii) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
(iv) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का विवादित बकाया	—	—	—	—	—
कुल	877.07	—	—	—	877.07

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 12: अन्य वर्तमान देनदारियां	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2025 तक	2024 तक
(ए) कर्मचारियों को देय	6.23	6.59
(बी) शेयर सरेंडर	1.87	—
(सी) अन्य देय	1110.53	10.97
(डी) स्रोत पर देय आयकर कटौती	10.14	10.39
(ई) भविष्य निधि देय	2.09	2.08
(एफ) देय जीएसटी (आईटीसी का शुद्ध)	0.84	0.59
(जी) प्राप्त अनुदान (उपयोग का शुद्ध) (नोट 34 देखें)	(20.69)	3.40
(एच) सुरक्षा जमा	285.15	206.49
(आई) देनदारों से अग्रिम	—	—
(जे) अचल संपत्तियों की खरीद के लिए देय	3.32	23.55
(के) एमएसएमई ब्याज देय	0.23	—
कुल	399.69	264.06
नोट 13: अल्पावधि प्रावधान	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2025 तक	2024 तक
(ए) आयकर के लिए प्रावधान (शुद्ध)	73.79	243.73
(बी) ग्रेज्युटी का प्रावधान	—	0.01
(सी) प्रदर्शन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) के लिए प्रावधान	5.33	6.47
(डी) बोनस का प्रावधान	12.26	3.92
(ई) अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	1.57	0.97
(एफ) बीमारी की छुट्टी के नकदीकरण का प्रावधान	0.19	0.14
कुल	93.15	255.24
नोट 14: आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2025 तक	2024 तक
अंतिम बैलेंस शीट की तारीख के अनुसार शेष/(देयता)	6.74	2.97
वर्ष के दौरान किए गए परिवर्तन		
— अचल संपत्तियों के बुक बैलेंस और टैक्स बैलेंस के बीच अंतर पर	(0.14)	(0.42)
— बोनस, ग्रेज्युटी और अवकाश नकदीकरण के प्रावधान पर	4.07	4.20
— भविष्य के वर्षों में परिशोधन के लिए उपलब्ध सीमा तक प्रारंभिक व्यय पर	—	—
कुल	10.67	6.74
नोट 15: दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च	31 मार्च
	2025 तक	2024 तक
(ए) सुरक्षा अग्रिम कार्यालय	0.90	0.90
(बी) सुरक्षा अग्रिम बिजली	0.36	0.36
कुल	1.26	1.26
नोट 16: र्सॉक	रुपये लाखों में	
(कम लागत और शुद्ध पुनः प्राप्त मूल्य पर)	31 मार्च	31 मार्च
विवरण	2025 तक	2024 तक
(ए) व्यापार में स्टॉक कच्चा दूध	155.68	124.11
(बी) मवेशी चारा, खनिज, वेटफ़ेन	21.37	43.59
(सी) रसायन, उपमोग्य वस्तुएं और टैग	—	3.61
कुल	177.05	171.31

काशी गिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 17: व्यापार प्राप्य विवरण	रुपये लाखों में					
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक				
ए. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—				
बी. असुरक्षित, अच्छा माना जाता है	930.20	1,297.01				
I. संदिग्ध						
— बिल किया गया	—	—				
— अनबिल्ड	—	—				
सी. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—				
कुल	930.20	1,297.01				
अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता						
ए. सुरक्षित, अच्छा माना जाता है	—	—				
बी. असुरक्षित माना जाता है अच्छा	—	—				
सी. असुरक्षित, संदिग्ध माना गया	—	—				
कुल	930.20	1,297.01				
व्यापार प्राप्य उम्र बढ़ने का शेड्यूल						
31 मार्च 2024 तक						
विवरण	6 महीने	6 महीने से कम	1—2 वर्ष —1 वर्ष	2—3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	930.20	—	—	—	—	930.20
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—	—
	930.20	—	—	—	—	930.20
31 मार्च 2025 तक						
विवरण	6 महीने	6 महीने से कम	1—2 वर्ष —1 वर्ष	2—3 वर्ष से अधिक	3 वर्ष	कुल
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	1,297.01	—	—	—	—	1,297.01
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य — अच्छा माना जाता है	—	—	—	—	—	—
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य — संदिग्ध माना गया	—	—	—	—	—	—
	1,297.01	—	—	—	—	1,297.01

नोट: उपरोक्त उम्र की गणना लेनदेन की तारीख से की जाती है।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 18: नकद और नकद समकक्ष विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
(ए) नकद और नकद समकक्ष		
(i) हाथ में नकदी	—	—
(ii) बैंकों के साथ संतुलन		
ए) चालू खातों में	71.90	487.36
बी) शेड्यूल बैंक में जमा (3 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	1,814.48	303.93
सी) शेड्यूल बैंक में जमा (6 महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता)	—	102.73
एस 3 के अनुसार नकदी और नकदी समतुल्य – नकदी प्रवाह विवरण	1,886.38	894.02
(बी) अन्य बैंक शेष		
(i) जमा खातों में	—	—
(ii) सुरक्षा के रूप में रखा गया शेष	—	—
(iii) निर्धारित खातों में	—	—
	1,886.38	894.02
नोट 19: अल्पावधि ऋण और अग्रिम (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
(ए) विक्रेताओं को अग्रिम	—	—
(बी) प्रीपेड व्यय	2.04	3.23
कुल	2.04	3.23
नोट 20: अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ (असुरक्षित, अच्छा माना जाता है) विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
(ए) बैंक जमा पर अर्जित लेकिन देय नहीं	—	1.93
(बी) टीडीएस और अग्रिम कर प्राप्य	84.76	235.31
(सी) सुरक्षा जमा	—	—
कुल	84.76	237.24
नोट 21: संचालन से राजस्व विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
व्यापारिक माल		
(ए) कच्चा दूध	18,736.68	17,737.97
(बी) पशु चारा	782.88	829.67
(सी) खनिज मिश्रण	25.04	22.00
(डी) माखन घास	—	2.23
(ई) वेटफेन	1.79	1.29
(फ) बरसीम	5.13	3.36
(जी) जंबो सुपर	2.85	1.05
(ज) मेगा स्वीट	0.98	0.09
(आई) पोषक आहार	0.29	0.07
(जे) जई बीज	0.74	0.36
(के) टीएससी	0.09	0.03
(एल) एस एस दूध का कैन	3.79	—
कुल	19,560.26	18,598.12
नोट 22: अन्य आय विवरण	31 मार्च 2025 तक	रुपये लाखों में 31 मार्च 2024 तक
(ए) सदस्यों से प्रवेश शुल्क	3.82	6.37
(बी) अनुदान से आय	273.81	963.48
(सी) निविदा शुल्क	—	0.10
(डी) सावधि जमा पर ब्याज	66.94	19.21
(ई) एमसीसी से वसूली	—	10.92
(एफ) अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	4.05	1.10
(आई) अन्य कमाई	7.88	—
कुल	356.51	1,001.18

काशी गिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 23: व्यापार में स्टॉक की खरीद विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(ए) कच्चा दूध	15,901.10	15,507.91
(बी) पशु आहार	648.09	779.28
(सी) खनिज मिश्रण	18.64	15.35
(डी) माखन घास	—	2.16
(ई) वेटफेन	—	2.00
(फ) बरसीम	4.88	3.36
(जी) जंबो सुपर	1.93	2.30
(एच) पोषक आहार	0.49	0.10
(आई) जई बीज	0.69	0.36
(जे) मेगा स्वीट	1.68	0.72
(के) टीएससी	—	0.12
(एल) एस एस दूध का कैन	6.02	—
(एम) पीईएस दवाई	0.85	—
कुल	16,584.36	16,313.65

नोट 24: खरीद व्यय विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत (नीचे नोट देखें)	17.78	20.86
डीजल खर्च	20.30	54.93
बीएमसी श्रम शुल्क	5.28	9.34
कूलिंग शुल्क	218.96	169.76
माल आवक	530.70	413.17
दूध प्रोत्साहन— सहायक	343.50	124.58
मूल्य प्रोत्साहन	—	(0.03)
कुल	1,136.53	792.60

नोट : रसायन और उपभोग्य सामग्रियों की खपत विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
ओपनिंग स्टॉक	3.61	4.49
जोड़ें: वर्ष के दौरान खरीद	14.17	19.98
कम समापन स्टॉक	—	3.61
रसायन एवं उपभोग्य की कुल खपत	17.78	20.86

नोट 25: स्टॉक-इन-ट्रेड रुपये की सूची में परिवर्तन विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कच्चे दूध के व्यापार में स्टॉक की सूची में कमी/(वृद्धि)।		
(ए) वर्ष की शुरुआत में इन्वेंटरी	167.70	59.89
(बी) वर्ष के अंत में सूची	177.05	167.70
इन्वेंट्री में शुद्ध (वृद्धि)/कमी	(9.35)	(107.81)

नोट 26: कर्मचारी लाभ व्यय विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(ए) वेतन और मजदूरी	240.11	214.65
(बी) भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	13.30	12.04
(सी) ग्रेज्युटी और मुआवजा अनुपस्थिति	17.62	8.10
(डी) कर्मचारी कल्याण व्यय	5.63	6.30
कुल	276.66	241.10

नोट 27: वित्त लागत विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
एमएसएमई पर ब्याज व्यय	—	—
कुल	—	—

काशी मिलक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 28: अन्य व्यय
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
माल ढुलाई, गाड़ी और अग्रेषण व्यय	1,201.91	1,051.31
बिजली और ईंधन	5.18	4.40
कृत्रिम गर्भाधान एवं अन्य पीईएस व्यय	37.03	49.83
किराया	19.95	20.23
दरें और कर	9.81	1.39
बीमा व्यय	0.70	1.09
रिटेनरशिप संविदात्मक व्यय	141.51	115.95
मरम्मत एवं रखरखाव – अन्य	13.75	3.67
मरम्मत और रखरखाव – कंप्यूटर	2.15	2.93
सहायकों को प्रोत्साहन एवं कमीशन	26.72	29.68
जीएसटी एवं टीडीएस एवं आयकर पर ब्याज	2.84	5.28
लॉडिंग और अनलोडिंग शुल्क	4.73	5.27
यात्रा एवं वाहन	58.45	47.27
प्रशिक्षण व्यय	2.51	65.43
परीक्षण शुल्क	2.61	2.33
संचार एवं नेटवर्किंग व्यय	31.14	27.34
मुद्रण एवं स्टेशनरी	14.24	17.56
व्यावसायिक शुल्क	60.89	15.81
बैठक व्यय	11.88	10.38
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय (नीचे नोट (2) देखें)	7.48	—
विविध व्यय	6.89	5.50
लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक (नीचे नोट (1) देखें)	1.86	1.69
हाउसकीपिंग एवं सुरक्षा व्यय	6.56	3.84
कुल	1,670.80	1,488.17

नोट 1: लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक
विवरण

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
(ए) वैधानिक लेखापरीक्षा शुल्क	1.27	1.16
(बी) टैक्स ऑडिट शुल्क	0.30	0.28
(सी) ऊपर पर जीएसटी	0.28	0.26
कुल	1.86	1.69

नोट 2: कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय

विवरण	लाखों रुपये में	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा व्यय की जाने वाली आवश्यक राशि	7.48	—
निम्नलिखित पर व्यय की गई राशि:	—	—
सरकारी स्कूली बच्चों को उपहार दूध वितरण	7.48	—
वर्ष के अंत में कमी	—	—
पिछले वर्षों की कुल कमी	—	—
कमी का कारण	—	—
सीएसआर गतिविधि की प्रकृति:		
वाराणसी जिले के लगभग 600 सरकारी स्कूलों में फ्लेवर्ड दूध (गिपट मिलक) वितरण		

प्रावधान में बदलाव का विवरण

विवरण	लाखों रुपये में	
	31 मार्च, 2025 तक	31 मार्च, 2024 तक
आरंभिक अप्रयुक्त प्रावधान	—	—
वर्ष के दौरान किया गया प्रावधान	7.48	—
वास्तविक व्यय के विरुद्ध भुगतान की गई राशि	7.48	—
अंतिम अप्रयुक्त प्रावधान	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 29: आकस्मिक देनदारियां और प्रतिबद्धताएँ (जिस सीमा तक प्रावधान न किया गया हो)	रुपये लाखों में	
विवरण	31 मार्च 2025 तक रुपये	31 मार्च 2024 तक रुपये
आकस्मिक देयताएँ		
कंपनी के विरुद्ध दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया	शून्य	शून्य
प्रतिबद्धताएँ		
पूँजीगत खाते पर निष्पादित होने के लिए शेष अनुबंधों की अनुमानित राशि और इसके लिए प्रावधान नहीं किया गया (अग्रिम भुगतान शून्य रुपये; पिछले वर्ष शून्य रुपये)	0.64	16.50
	0.64	16.50

नोट 30: प्रस्तावित लाभांश

31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के संबंध में, 23 जुलाई 2025 को आयोजित अपनी बैठक में निदेशकों ने पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों पर 41.16776 लाख रुपये (@8/- रुपये प्रति शेयर) का अंतिम लाभांश देने का प्रस्ताव रखा है। इक्विटी लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के अधीन है और इसे वित्तीय विवरणों में देनदारी के रूप में शामिल नहीं किया गया है। प्रस्तावित इक्विटी लाभांश पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 514,597 धारकों को देय है।

31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्रस्तावित अंतिम लाभांश, 31 मार्च, 2024 तक पूरी तरह से भुगतान किए गए शेयरों के सभी 24,302 धारकों के लिए 25.59696 लाख रुपये (@ 8/- प्रति शेयर) का कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया था।

काशी गिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 31: मुकदमे
विवरण

किसी भी ग्राहक, सेवा प्रदाता, लेनदारों, कर्मचारियों, के साथ लंबित मुकदमे या विवाद सरकारी प्राधिकारी और अन्य हितधारक वित्तीय विवरणों में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों का प्रभाव

रुपये लाखों में	
31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
रुपये	रुपये
शून्य	शून्य
—	—

नोट 32: कंपनी दूध के व्यापार के एकल व्यवसाय खंड में लगी हुई है और भारत में एकल भौगोलिक खंड में काम करती है। इसलिए सेगमेंट रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक (एएस) – 17 के तहत आवश्यक खुलासे लागू नहीं होते हैं।

नोट 33: पट्टे की व्यवस्था
कंपनी ने परिचालन पट्टे पर परिसर लिया है। वर्ष के दौरान भुगतान किए गए पट्टा किराये को लेखांकन मानक 19 (एएस 19) "पट्टे" के अनुसार व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

कंपनी ने कार्यालय परिसर, बीएमसी और स्टोर के लिए चार परिचालन पट्टा व्यवस्थाएं की हैं। लीज किराये का खर्च रु. परिचालन पट्टे के तहत दायित्व के संबंध में 1,९९४,६१९ /— को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है।

भविष्य के न्यूनतम पट्टा भुगतान हैं:

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
1 वर्ष के बाद देय नहीं	18.26	0.48
1 वर्ष से बाद में देय लेकिन 5 वर्ष से अधिक नहीं	25.40	53.57
	43.66	54.05

नोट 34: प्रति इक्विटी शेयर आय

विवरण	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
कर पश्चात शुद्ध लाभ	277.05	588.77
वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारत औसत संख्या	18.80	5.22
प्रति इक्विटी शेयर नाममात्र मूल्य	100.00	100.00
प्रति शेयर मूल आय	12.08	112.75
इक्विटी शेयरों का उपयोग प्रति शेयर	18.80	5.22
पतला आय की गणना करने के लिए किया जाता है प्रति शेयर पतला आय	12.08	112.75

नोट 35: "कर्मचारी लाभ" पर संशोधित लेखा मानक 15 (एएस-15) के अनुसार प्रकटीकरण

ए. परिभाषित योगदान योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य निधि के रूप में परिभाषित योगदान योजना प्रदान करती है, जो सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (आरपीएफसी) के पास जमा किया जाता है। कर्मचारी और कंपनी दोनों भविष्य निधि में पूर्व निर्धारित योगदान का भुगतान करते हैं। योगदान आम तौर पर कर्मचारी के वेतन के निश्चित अनुपात पर आधारित होता है।

	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
	रुपये	रुपये
भविष्य निधि योगदान को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी गई है	13.30	12.04

बी. परिभाषित लाभ योजना

कंपनी अपने कर्मचारियों को ग्रेच्युटी योजना (एकमुश्त राशि) के रूप में परिभाषित लाभ योजनाएं प्रदान करती है। परिभाषित लाभ योजनाओं के तहत लाभ सेवा के वर्षों और कर्मचारियों के मुआवजे (सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले) पर आधारित होते हैं। ग्रेच्युटी योजना सभी नियमित कर्मचारियों को कवर करती है। ग्रेच्युटी योजना के मामले में कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा प्रशासित ट्रस्ट और आयकर अधिकारियों द्वारा अनुमोदित धनराशि में योगदान करती है। प्रतिबद्धताएं वास्तविक रूप से वर्ष के अंत में निर्धारित की जाती हैं। बीमाकिक मूल्यांकन "प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट (पीसीयू) बीमाकिक पद्धति" के आधार पर किया जाता है। परिवर्तित बीमाकिक धारणाओं के लाभ और हानि को लाभ और हानि खाते के विवरण में शामिल किया जाता है।

ग्रेच्युटी और वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशि के संबंध में परिभाषित लाभ योजना की वित्त पोषित स्थिति।

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
i.नियोक्ता व्यय का खुलासा		
वर्तमान सेवा लागत	4.58	1.34
ब्याज लागत	0.11	0.11
भुगतान किया गया लाभ	—	—
बीमांकिक हानि (लाभ)	4.24	0.28
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	—
परिभाषित लाभ लागत पी और एल में शामिल है	8.93	1.73
ii.बीमांकिक (लाभ)/हानि का विश्लेषण		
डीबीओ में जनसांख्यिकीय अनुमान परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/नुकसान	(0.22)	—
डीबीओ में वित्तीय अनुमान परिवर्तन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.51	(1.11)
डीबीओ पर अनुभव समायोजन के कारण बीमांकिक (लाभ)/हानि	(0.05)	1.39
योजना परिसंपत्तियों पर रिटर्न (अधिक)/छूट दर से कम	—	—
प्रतिपूर्ति अधिकारों पर रिटर्न (ब्याज आय को छोड़कर)	—	—
परिसंपत्ति सीमा/भारी देनदारी में परिवर्तन (ब्याज आय को छोड़कर)	—	—
कुल बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.24	0.28
iii.बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)		
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.23	2.62
वित्तपोषित स्थिति [(घाटा)]	(9.23)	(2.62)
अज्ञात पिछली सेवा लागतें	—	—
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई	—	—
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	0.16	—
शुद्ध देयता	(9.23)	(2.62)
बीएस में मान्यता प्राप्त शुद्ध देयता	(9.06)	(2.62)
iv. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन		
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम) वर्तमान	—	0.0080
गैर वर्तमान	9.0639	2.6104
v.समाप्त होने वाली अवधि में दायित्व में परिवर्तन		
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (उद्घाटन)	2.62	2.10
ब्याज लागत	0.11	0.11
वर्तमान सेवा लागत	4.58	1.34
पूर्व सेवा लागत	—	—
बस्तियाँ	—	—
योजना से लाभ भुगतान	—	—
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(2.32)	(1.21)
अधिग्रहण/विनिवेश/स्थानांतरण	—	—
बीमांकिक (लाभ)/हानि	4.24	0.28
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	(0.16)	—
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)	9.06	2.62
vi. योजना परिसंपत्तियों के उद्घाटन और समापन मूल्यों का मिलान		
आरंभ में योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य (उद्घाटन)	—	—
ओपनिंग वैल्यू में अंतर	—	—
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	2.32	1.21
योजना प्रतिभागियों का योगदान	—	—
परिसंपत्तियों की अपेक्षित ब्याज आय में स्थानांतरण/अधिग्रहण	—	—
स्थानांतरण/विनिवेश	—	—
जोखिम लाभ के लिए बीमा प्रीमियम	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
योजना से लाभ भुगतान	—	—
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(2.32)	(1.21)
योजना परिसंपत्तियों से भुगतान किए गए प्रशासनिक व्यय/कर	—	—
बीमांकिक लाभ/(हानि)	—	—
विनिमय दरों में परिवर्तन का प्रभाव	—	—
अंत में संपत्ति का उचित मूल्य	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर वास्तविक रिटर्न	—	—
vii. बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता) का समाधान		
वर्ष की शुरुआत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(2.62)	(2.10)
राशि पहचानी नहीं गई	—	—
नियोक्ता व्यय को छोड़कर	(8.93)	(1.73)
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	2.32	1.21
अधिग्रहण/विनिवेश	—	—
सीमा का प्रभाव	—	—
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	0.16	—
वर्ष के अंत में शुद्ध देयता/(संपत्ति)	(9.06)	(2.62)

viii. समाप्त होने वाली अवधि के लिए नियोक्ता व्यय का खुलासा नियोक्ता व्यय के घटक

अवधि की शुरुआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	2.62	2.10
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	9.23	2.62
मूल्यांकन अवधि के दौरान देयता में शुद्ध वृद्धि	6.61	0.52
कंपनी से सीधे भुगतान किए गए लाभ	2.32	1.21
योजना से लाभ भुगतान	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	—	—
"समाप्ति लाभ/अधिग्रहण/स्थानांतरण की लागत", "प्रशासनिक व्यय/कर/बीमा लागत/विनिमय दर कॉस्ट", "राशि संपत्ति के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं	—	—
लाभ/हानि विवरण में मान्य व्यय	8.93	1.73
अवैतनिक बकाया ग्रेज्युटी	—	—
चालू वर्ष में पी और एल	8.93	1.73
ix. प्रमुख बीमांकिक मान्यताएँ		
छूट दर	6.88% प्रति वर्ष	7.23% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
वेतन वृद्धि दर	5.77% प्रति वर्ष	2.77% प्रति वर्ष
क्षय दर	10.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

प्रयुक्त मृत्यु तालिका आई-ए-एल-एम (2012-14) अल्टीमेट

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक रुपये	31 मार्च 2024 तक रुपये
सी. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान (छुट्टी देयता)		
i. आय विवरण में व्यय को मान्यता दी गई		
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	6.98	3.94
प्रारंभ में (समापन) परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	10.02	6.98
मूल्यांकन अवधि के दौरान देनदारी में शुद्ध वृद्धि	3.04	3.05
नियोक्ता से लाभ भुगतान	(4.32)	(1.63)
योजना से लाभ भुगतान	—	—
समाप्ति लाभ/अधिग्रहण/स्थानांतरण की लागत	—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न	—	—
अवैतनिक बकाया अवकाश	—	—
परिभाषित लाभ लागत पी और एल में शामिल है	7.35	4.68

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

		रुपये लाखों में	
		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
ii. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है			
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य		—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य		10.02	6.98
वित्त पोषित स्थिति [अधिशेष/(घाटा)]		(10.02)	(6.98)
अज्ञात पिछली सेवा लागतें		—	—
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई		—	—
शुद्ध देयता		(10.02)	(6.98)
अवैतनिक बकाया छुट्टी		0.12	—
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त		(9.90)	(6.98)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य		9.34	6.42
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		0.68	0.57
iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन			
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम)	वर्तमान गैर चालू	1.57 8.45	0.97 6.01
iv. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है			
शुद्ध संपत्ति / (देयता) अवधि की शुरुआत में मान्यता प्राप्त		(6.98)	(3.94)
नियोजित व्यय		(7.35)	(4.68)
नियोजित का योगदान		—	—
नियोजित प्रत्यक्ष लाभ भुगतान		4.32	1.63
अधिग्रहण / विनिवेश		—	—
सीमा का प्रभाव		0.12	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी		(9.90)	(6.98)
v. प्रधान बीमांकिक अनुमान			
छूट दर		6.86% प्रति वर्ष	7.23% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न		—	—
वेतन वृद्धि		5.77% प्रति वर्ष	2.77% प्रति वर्ष
क्षय दर		10.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष
प्रयुक्त मूल्य तालिका I.A.L.M. (2012-14) अल्टीमेट			

		रुपये लाखों में	
		31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक

सी. क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति के लिए बीमांकिक अनुमान (बीमार छुट्टी देयता)

i. आय विवरण में व्यय को मान्यता दी गई			
वर्ष की शुरुआत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		1.68	—
आरंभ में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य (समापन)		2.81	1.68
मूल्यांकन अवधि के दौरान देनदारी में शुद्ध वृद्धि		1.13	1.68
नियोजित से लाभ भुगतान		(0.21)	(0.00)
योजना से लाभ भुगतान		—	—
समाप्ति लाभ / अधिग्रहण / स्थानांतरण की लागत		—	—
योजना परिसंपत्तियों पर कम वास्तविक रिटर्न		—	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी		—	—
परिभाषित लाभ लागत P&L में शामिल		1.34	1.68
ii. शुद्ध संपत्ति / (देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है			
वित्त पोषित दायित्व का वर्तमान मूल्य		—	—
योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		—	—
अनिधिकृत दायित्व का वर्तमान मूल्य		2.81	1.68
वित्तपोषित स्थिति [अधिशेष / (घाटा)]		(2.81)	(1.68)
अज्ञात पिछली सेवा लागतें		—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

	रुपये लाखों में	
	31 मार्च 2025 तक	31 मार्च 2024 तक
राशि को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता नहीं दी गई	—	—
शुद्ध देयता	(2.81)	(1.68)
अवैतनिक बकाया छुट्टी	0.03	—
बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त	(2.79)	(1.68)
नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	—	—
iii. वर्तमान और गैर-वर्तमान विभाजन		
पीवीओ (अनफंडेड स्कीम) वर्तमान	0.19	0.14
गैर वर्तमान	2.62	1.54
iv. शुद्ध संपत्ति/(देयता) बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त है		
अवधि की शुरुआत में मान्यता प्राप्त शुद्ध संपत्ति/(देयता)	(1.68)	—
नियोक्ता व्यय	(1.34)	(1.68)
नियोक्ता का योगदान	—	—
नियोक्ता प्रत्यक्ष लाभ भुगतान	0.21	0.00
अधिग्रहण/विनिवेश	—	—
सीमा का प्रभाव	—	—
अवैतनिक बकाया छुट्टी	0.03	—
	(2.79)	(1.68)
v. प्रधान बीमांकिक अनुमान		
छूट दर	6.86% प्रति वर्ष	7.23% प्रति वर्ष
परिसंपत्तियों पर अपेक्षित रिटर्न	—	—
वेतन वृद्धि	5.77% प्रति वर्ष	2.77% प्रति वर्ष
क्षय दर	10.00% प्रति वर्ष	5.00% प्रति वर्ष

प्रयुक्त मूल्य तालिका I-A-L-M- (2012-14) अल्टीमेट

नोट 36: संबंधित पार्टी के खुलासे

ए. संबंधित पक्षों का नाम और रिश्ते की प्रकृति	व्यक्ति का नाम	
रिश्ते की प्रकृति	डॉ. मनवीर सिंह	
प्रमुख प्रबंधन कार्मिक	(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)	11 मई, 2024 तक
मुख्य प्रबंधन कार्मिक	प्रियंका सत्यवाली	
	(कंपनी सचिव)	
बी. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन	रुपये लाखों में	
वर्ष के दौरान लेनदेन	केएमपी	रुपये में
1. आय	—	—
2. व्यय		
प्रबंधकीय पारिश्रमिक	20.73	20.73
	(53.88)	(53.88)
व्यय प्रतिपूर्ति		
3. वर्ष के अंत में शेष		
देय व्यय	—	—
	(—)	(—)

*कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़ों को दर्शाते हैं

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 37: अनुदान का विवरण:		रुपये लाखों में		
उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से प्राप्त अनुदान का विवरण	31 मार्च	31 मार्च		
और इसका उपयोग इस प्रकार है।	2025 तक	2024 तक		
	रुपये	रुपये		
ए. शेष आगे खरीदा गया	3.40	47.44		
बी. वर्ष के दौरान प्राप्त हुआ	660.64	1,509.99		
सी. अनुदान निधि पर अर्जित ब्याज				
प्राप्त ब्याज	1.64	2.30		
उपार्जित एवं देय ब्याज	0.20	0.13		
डी. वर्ष के दौरान उपयोग किया गया				
— संपत्ति संयंत्र और उपकरण के लिए (वसूली का शुद्ध)	400.42	571.33		
— पूंजीगत कार्य प्रगति पर	—	—		
— राजस्व व्यय के लिए	191.82	855.87		
कुल उपयोग	592.24	1,427.20		
ई. वापस कर दिया गया	—	—		
एफ. अप्रयुक्त अनुदान	73.45	132.53		
जी. घटाएँ: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए योग्य परिचालन व्यय अनुदान से उपयोग किए जाएंगे	81.99	107.61		
घटाएँ: 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए मात्र पूंजीगत व्यय का उपयोग अनुदान से किया जाएगा	12.35	21.65		
आगे बढ़ाया गया शेष (एफ-जी)	(20.69)	3.40		
नोट 1: पूंजीगत संपत्तियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए अनुदान को आस्थगित अनुदान के रूप में दर्ज किया गया है और उपयोग किए गए राजस्व अनुदान को अन्य आय के तहत दिखाया गया है।				
नोट 38: क्षति हानि				
31 मार्च, 2025 तक लेखांकन मानक '28' के अनुसार प्रबंधन द्वारा की गई समीक्षा के आधार पर अचल संपत्तियों पर कोई हानि नहीं हुई थी।				
नोट 39: प्रबंधन की राय में लेनदारों के खातों में शेष राशि सत्य और सही है और व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में दर्शाई गई सीमा तक देय है।				
नोट 40: खंड रिपोर्टिंग पर लेखांकन मानक एएस-17 के तहत अपेक्षित प्रकटीकरण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कंपनी मुख्य रूप से कच्चे दूध की बिक्री के एकल व्यवसाय खंड में काम करती है और एक भौगोलिक क्षेत्र में काम करती है।				
नोट 41: अतिरिक्त विनियामक जानकारी: अनुपात				
अनुपात	मीटर	भाजक	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
वर्तमान अनुपात (समय में)	कुल मौजूदा संपत्तियाँ कुल ऋण में उधार और पट्टा	मौजूदा देनदारियाँ कुल इक्विटी	2.02	1.86
ऋण-इक्विटी अनुपात (समय में)	देनदारियाँ शामिल हैं		—	—
ऋण सेवा कवरेज	ऋण सेवा के लिए कमाई = करों के बाद शुद्ध लाभ + गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य गैर-नकद समायोजन	ऋण सेवा = ब्याज और पट्टा भुगतान + मूलधन चुकौती	—	—
इक्विटी अनुपात पर रिटर्न (% में)	वर्ष के लिए लाभ कम वरीयता लाभांश (यदि कोई)	औसत कुल इक्विटी	17%	79%
इन्वेंटरी टर्नओवर अनुपात	बेचे गए सामान की लागत	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	112.88	158.92
व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत व्यापार प्राप्तियाँ	17.56	23.12
व्यापार देय टर्नओवर अनुपात (समय में)	शुद्ध क्रेडिट खरीद	औसत व्यापार देय	17.72	28.64
शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात (समय में)	संचालन से राजस्व	औसत कार्यशील पूंजी (यानी कुल वर्तमान संपत्ति कुल चालू देनदारियाँ)	12.56	15.42
शुद्ध लाभ अनुपात (% में)	इस साल का मुनाफा	संचालन से राजस्व	1.28	4.44
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (% में)	कर और वित्त लागत से पहले लाभ	नियुक्त पूंजी = कुल मूल्य + लीज देनदारियाँ + विलंबित कर दायित्व	16%	75%
निवेश पर रिटर्न (% में)	निवेशित फंड से उत्पन्न आय	ट्रेजरी निवेश में औसत निवेशित फंड	—	—

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

नोट 42: आवंटन के लिए लंबित आवेदन राशि साझा करें

वर्ष के दौरान कंपनी को 100 रुपये प्रत्येक की दर से 155586 इक्विटी शेयरों से 1,55,58,600/- रुपये की शेयर आवेदन राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से कंपनी ने 100 रुपये प्रत्येक की दर से 194635 इक्विटी शेयर से 1,94,63,500/- आवंटित किए हैं। 100 रुपये प्रत्येक की दर से 12369 शेयरों के लिए 12,36,900 /-रुपये की शेष आवेदन राशि 31.03.2025 तक आवंटन के लिए लंबित थी। 31.03.2025 तक कंपनी की कुल जारी और चुकता पूंजी 5,14,59,700/- रुपये है, जबकि 10,00,000 शेयरों के लिए 100 रुपये प्रति शेयर की दर से 10,00,00,000 /- रुपये की अधिकृत पूंजी है। आवंटन के लिए लंबित उपर दिये शेयर आवेदन राशि आवेदन राशि प्राप्त होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर आवंटित की जाएगी।

नोट 43: अन्य प्रकटीकरण / मामले

(i) हटाई गई कंपनियों के साथ संबंध:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत हटाई गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं किया गया है।

(ii) अधोषित आय

ऐसी कोई आय नहीं है जिसका खुलासा लेखा पुस्तकों में न किया गया हो। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अवधि के दौरान किसी भी अधोषित आय को सरेंडर या आय के रूप में प्रकट नहीं किया गया है।

(iii) क्रिप्टो करेंसी या आमासी मुद्रा का विवरण:

क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी से जुड़े लेनदेन पर लाभ या हानि	31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
रिपोर्टिंग तिथि पर रखी गई मुद्रा की राशि	31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।
क्रिप्टो करेंसी/आमासी मुद्रा में व्यापार या निवेश के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति से जमा या अग्रिम	31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए ऐसा कोई लेनदेन नहीं हुआ है।

(iv) धारित बेनामी संपत्ति का विवरण

31 मार्च 2025 और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए समूह के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(v) इरादतन ब्रूककर्ता

किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान ने होल्डिंग कंपनी या उसकी सहायक कंपनियों को 'विलफुल डिफॉल्टर' घोषित नहीं किया है।

(vi) कंपनी रजिस्ट्रार के साथ शुल्कों का पंजीकरण या संतुष्टि:

लागू नहीं

(vii) सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ('कोड') को 29 सितंबर 2020 को भारत के आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया गया है, जो कुछ रोजगार लाभों के लिए समूह के योगदान को प्रभावित कर सकता है। परिवर्तन लागू होने की प्रभावी तिथि अभी तक अधिसूचित नहीं की गई है और नियम भी बनाए जाने बाकी हैं। परिवर्तन के प्रभाव, यदि कोई हो, का आकलन किया जाएगा और प्रासंगिक प्रावधानों की अधिसूचना की अवधि में हिसाब लगाया जाएगा।

(viii) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125 के तहत उल्लिखित राशि के संबंध में, 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के लिए और 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में जमा करने के लिए कोई बकाया नहीं था।

(ix) निदेशक मंडल की राय में, 31 मार्च 2025 को बैलेंस शीट में दिखाई देने वाली सभी मौजूदा संपत्ति और दीर्घकालिक ऋण और अग्रिम, कंपनी के व्यवसाय के सामान्य पाठ्यक्रम में, वसूली पर मूल्य कम से कम बराबर हैं उस राशि तक जिस पर वे वित्तीय विवरणों में बताए गए हैं। निदेशक मंडल की राय में, इन शेष राशि की वसूली के विरुद्ध कोई प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

(x) कंपनी के पास डेरिवेटिव अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो।

(xi) पिछले वर्ष में प्रस्तावित अंतिम लाभांश, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और देय अधिनियम की धारा 123 के अनुसार लागू है।

(xii) कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने एक अधिसूचना (कंपनी (खाता) संशोधन नियम, 2021) जारी की है जो 1 अप्रैल 2023 से प्रभावी है, जिसमें कहा गया है कि प्रत्येक कंपनी जो अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए लेखांकन सॉफ्टवेयर का उपयोग करती है, केवल लेखांकन सॉफ्टवेयर में प्रत्येक लेन-देन के ऑडिट ट्रेल को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, और इसके अलावा खातों की पुस्तकों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन का एक संग्रहण लॉग बनाने की तारीख के साथ-साथ ऐसे परिवर्तन किए गए हैं और यह सुनिश्चित करना है कि ऑडिट ट्रेल को अक्षम नहीं किया जा सकता है।

कंपनी ने 31 मार्च, 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए टैली प्राइम अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा को रिकॉर्ड करने की सुविधा है।

कंपनी ने दूध संग्रह में मात्रा और फैंट/एसएनएफ की रिकॉर्डिंग के लिए स्मार्ट एमपीएमएस और एमपीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया है। सॉफ्टवेयर में रिकॉर्ड किए गए सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए इस सॉफ्टवेयर में ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने

काशी गिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड
वित्तीय विवरणों का भाग बनने वाले टिप्पणियाँ

(xiii) बाद की घटनाएँ

रिपोर्टिंग तिथि के बाद ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसके लिए वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण की आवश्यकता हो।

नोट 44: संबंधित पिछले वर्ष के आंकड़ों को तुलनीय बनाने के लिए, जहां भी आवश्यक हो, पुनः समूहीकृत/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर से

ह./—
मुकेश बेरीवाल
निदेशक एवं सीई
डीआईएन : 10697848

ह./—
सरिता देवी
निदेशक
डीआईएन : 09687193

ह./—
अंजना सिंह
निदेशक
डीआईएन : 10190931

ह./—
प्रियंका सत्यवाली
कंपनी सचिव
एम.न.ए : 45196

स्थान : वाराणसी
दिनांक: 23.07.25

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

CIN: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,

पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

सूचना

सूचना दी जाती है कि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 5वीं वार्षिक आम सभा दिनांक 10 सितम्बर 2025 (बुधवार) को दोपहर 12:00 बजे "होटल द पिन्नेकल इन", हवेलिया चौराहा, एसए-15/129 ई, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में आयोजित की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित विषयों पर विचार एवं निर्णय लिया जाएगा:

1. 31 मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 तक की ऑडिटेड तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों और नोट्स के साथ और निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के साथ अपनाया जाता है।"

2. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोसणा करना तथा इस संबंध में सामान्य संकल्प को पारित करना।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष के अर्जित लाभ में से ₹8/-प्रति इक्विटी शेयर पर की दर से शेयर पूंजी पर सीमित लाभांश (लाभांश), रुपये 100 के 514597 इक्विटी शेयरों पर पूरी तरह से भुगतान किया गया, जिसमें रुपये ₹41,16,776/- शामिल है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए इसे मंजूरी दी गयी है और इसकी पुष्टि की गयी है और इसे उन इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनके नाम 31 मार्च, 2025 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।"

3. श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल्स के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193), जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति हेतु अयोग्य हैं, वे इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त मानी जाएँगी।

4. श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल्स के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147), जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति हेतु अयोग्य हैं, वे इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त मानी जाएँगी।

5. श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN:10290499) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 378ZA और आर्टिकल्स के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN:10290499), जो इस वार्षिक आम बैठक में सेवानिवृत्त हो रही हैं तथा पुनः नियुक्ति हेतु अयोग्य हैं, वे इस वार्षिक आम बैठक की समाप्ति पर निदेशक पद से सेवानिवृत्त मानी जाएँगी।

6. श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और संस्था के अंतर्नियम के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650), को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

7. श्रीमती चुन्नी देवी (DIN:11211662) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और संस्था के अंतर्नियम के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती चुन्नी देवी (DIN:11211662), को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

8. श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करना और यदि उचित समझा जाए तो संसोधनों के साथ या बिना संशोधन के इसे सामान्य संकल्प के रूप में पारित करना ।

"यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA और संस्था के अंतर्नियम के संघटन के अन्य लागू प्रावधानों के तहत, (जो कि किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन के साथ) श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN:11211671) को कंपनी का निदेशक नियुक्त किया जाता है, जिनकी कार्यालय की अवधि रोटेशन के अनुसार सेवानिवृत्त होने के लिए उत्तरदायी होगी।

यह प्रस्ताव भी पारित किया जाता है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक, उचित और अनिवार्य कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

9. विभिन्न वर्गों में सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करना ।

यह प्रस्ताव पारित किया जाता है कि कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.4 के अनुसार, व्यापार में सदस्य की भागीदारी (यानी प्रायोजन) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने के

मानदंड, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है, यहाँ पर दिये गए हैं, और इसे अनुमोदित और अपनाया जाता है।”

मापदंड	क्लास A	क्लास B	क्लास C
कंपनी (MPC) को वार्षिक दूध आपूर्ति मात्रा (लीटर में)	≥ 10000	≥ 4000	≥ 500
एक वर्ष में कंपनी को दूध आपूर्ति करने के न्यूनतम दिन	≥ 330	≥ 270	≥ 200
सर्दी (नवंबर से फरवरी) और गर्मी (अप्रैल से जुलाई) महीनों में दूध आपूर्ति अनुपात	सर्दी:गर्मी अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	सर्दी:गर्मी अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए	सर्दी:गर्मी अनुपात 3.0 से अधिक नहीं होना चाहिए
₹100 प्रति शेयर मूल्य के अनुसार न्यूनतम कंपनी शेयर	100 शेयर	40 शेयर	5 शेयर

• नोट -

- a) वर्गीकरण के लिए वास्तविक शेयर योगदान या वास्तविक दूध की मात्रा में से जो कम होगा, उसे ध्यान में रखा जाएगा।
- b) प्रायोजन की गणना के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रखी जाएंगी:
 - i. पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान दाखिल हुए सदस्य जिन्होंने 365 दिन की सदस्यता पूरी नहीं की है, लेकिन एक विशेष श्रेणी के लिए न्यूनतम आवश्यक शेयर पूंजी का योगदान किया है, उन्हें उसी श्रेणी में माना जाएगा।
 - ii. कोई भी सदस्य जो श्रेणी ए या श्रेणी बी के मानदंड को पूरा नहीं करता है, वह उचित निम्न श्रेणी में स्थानांतरित हो सकता है जिसके मानदंड वह पूरा करता है। हालांकि, वह उस वर्ष के लिए निदेशक मंडल के पद के लिए चुनाव लड़ा नहीं सकता है।
 - iii. जो सदस्य न्यूनतम 'श्रेणी सी' मानदंड को पूरा नहीं करते हैं, उन्हें अनुच्छेद 4.3 और अनुच्छेद 8 के प्रावधानों के अनुसार सदस्यता रद्द करने के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि बोर्ड

उन्हें सदस्यता जारी रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्य बिना किसी श्रेणी के सदस्य माने जाएंगे।

स्वीकृत और अंगीकृत किए जाते हैं तथा वित्त वर्ष 2025-26 से प्रभावी माने जाएंगे।

10. नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देशों पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना, ताकि पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच कर कंपनी के निदेशक मंडल में रिक्त पदों के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा सके और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित किया जा सकता है:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देशों को कंपनी अधिनियम, 2013 (जिसमें समय-समय पर संशोधन या पुनः अधिनियमित किया गया हो), विशेष रूप से इसके भाग XXI-A, एवं कंपनी के ज्ञापन तथा उपविधियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार अंगीकृत एवं स्वीकृत किया जाता है, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

- (i) काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड ("कंपनी") का निदेशक मंडल प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन माह के भीतर "नामांकन समिति" (NC) का गठन करेगा, ताकि कंपनी के निदेशक मंडल में उत्पादक-सदस्य निदेशक के रिक्त पद हेतु संभावित उम्मीदवारों की अनुशंसा की जा सके।
- (ii) कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा उत्पादक निदेशकों (वर्ग- A, B या C) के रिक्त पदों की घोषणा की जाएगी। पात्र सदस्यों से नामांकन आमंत्रित करने हेतु सूचना कंपनी के सूचना-पट्ट, कंपनी की वेबसाइट (यदि हो), या संबंधित वर्ग के सभी सदस्यों को साधारण डाक द्वारा परिपत्र भेजकर दी जाएगी।
- (iii) निदेशक मंडल एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करेगा, जिसे नामांकन समिति द्वारा ऐसे संभावित सदस्यों की पहचान हेतु अपनाया जाएगा जैसा कि उपविधियों में उल्लेखित है।
- (iv) नामांकन समिति द्वारा पात्र आवेदकों के लिए निम्न मापदंडों के आधार पर अंक प्रदान किए जाएंगे:

आवेदक की पात्रता के मापदंड	अधिकतम अंक
<p>विगत दो वित्तीय वर्षों में कंपनी को दूध आपूर्ति के दिवसों की संख्या: (यदि उपस्थिति 95% या उससे अधिक है – 30 अंक मिलेंगे। यदि उपस्थिति 85% से अधिक लेकिन 95% से कम है – 20 अंक मिलेंगे। यदि उपस्थिति 75% से अधिक लेकिन 85% से कम है – 15 अंक मिलेंगे। यदि उपस्थिति 65% से अधिक लेकिन 75% से कम है – 10 अंक मिलेंगे। यदि उपस्थिति 55% से अधिक लेकिन 65% से कम है – 5 अंक मिलेंगे।</p>	30

आवेदक की पात्रता के मापदंड	अधिकतम अंक
यदि उपस्थिति 55% से कम है – कोई अंक नहीं मिलेंगे।)	
पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च तक की आवश्यक शेयर पूंजी के मुकाबले शेयर पूंजी से 10% से अधिक की कमी नहीं होना	5
विगत 5 वर्षों से संबंधित सदस्य वर्ग (A, B, C) बनाए रखा गया हो (प्रत्येक वर्ष हेतु 6 अंक)	30
आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (जो न्यूनतम आवश्यक योग्यता से अधिक हो) – यदि 12वीं पास है तो 5 अंक, स्नातक (Graduate) होने पर 10 अंक और परास्नातक (Post Graduate) होने पर 15 अंक मिलेंगे। न्यूनतम योग्यता कंपनी के अनुच्छेदों (Articles of Association) के अनुसार होनी चाहिए	15
की गई ट्रेनिंग - मेंबर ट्रेनिंग (5 अंक); VCG/MRG ट्रेनिंग (5 अंक); लीडरशिप डेवलपमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ट्रेनिंग (10 अंक)	20
कुल अंक	100

(v) नामांकन समिति का गठन निदेशक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसमें निम्न सदस्य होंगे:

1. उस सदस्य वर्ग से निदेशक मंडल में कार्यरत एक उत्पादक-सदस्य निदेशक, जिसके लिए रिक्ति उत्पन्न हुई है, बशर्ते कि वह निदेशक आगामी वार्षिक आम सभा में सेवानिवृत्त न हो रहा हो। यदि एक से अधिक निदेशक पात्र हों, तो लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा। यदि उस वर्ग से कोई निदेशक न हो, तो अन्य किसी उत्पादक-सदस्य निदेशक को लॉटरी द्वारा चयन किया जाएगा;
2. कंपनी के बोर्ड में कार्यरत एक विशेषज्ञ निदेशक;
3. किसी प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान या उत्पादक स्वामित्व वाले उद्यमों के विकास में संलग्न संस्था से एक विशेषज्ञ।
कंपनी सचिव, नामांकन समिति की सहायता करेगा और उससे संबंधित सभी अभिलेख, जैसे कि बैठक की कार्यवृत्त, का संधारण करेगा।

(vi) नामांकन समिति का कार्यकाल समिति की पहली बैठक की तिथि से लेकर उसकी अनुशंसा निदेशक मंडल को प्रस्तुत किए जाने तक होगा।

(vii) निदेशक मंडल यह प्रक्रिया निर्धारित करेगा जिसे नामांकन समिति संभावित सदस्यों की पहचान हेतु अपनाएगी।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कंपनी का निदेशक मंडल आवश्यकतानुसार सभी कृत्य, कार्य, निर्णय एवं कार्रवाई करने हेतु अधिकृत होगा और इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाली किसी भी शंका, कठिनाई या संदेह का समाधान करने हेतु स्वतंत्र होगा।”

11. वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित को सामान्य संकल्प के रूप में पारित करने के लिए।

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 की अवधि के लिए कंपनी का बजट, जो इस वार्षिक आम सभा में प्रस्तुत किया गया है, वह स्वीकृत किया जाता है।”

12. कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार करने एवं स्वीकृति प्रदान करने के लिए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने हेतु:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378-I, धारा 14 एवं अध्याय XXI-A सहित अधिनियम की अन्य सभी लागू प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत, कंपनी के वर्तमान लेख में निम्नलिखित प्रकार से संशोधन किए जाने हेतु कंपनी के शेयरधारकों की सहमति प्राप्त की जाती है और यह सहमति प्रदान की जाती है:

“मौजूदा अनुच्छेद 9.5 (i) को परिवर्तित करके निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा:-

‘प्रत्येक सदस्य वर्ग का निदेशक मंडल में प्रतिनिधित्व, जहाँ तक संभव हो, संबंधित वर्ग के संरक्षकता के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। हालाँकि, यह आवश्यकता कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगी।

“मौजूदा अनुच्छेद 9.6 (ii) को परिवर्तित करके निम्न प्रकार पढ़ा जाएगा; -

‘निदेशक मंडल में किसी रिक्त पद की पूर्ति, जो वार्षिक आम सभा में की जानी है, बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति की प्रस्ताव के आधार पर की जाएगी। यह प्रावधान कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभाव में रहेगा।’

आगे यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि उपरोक्त संशोधनों से पूर्व निदेशक मंडल द्वारा किए गए सभी कार्य, क्रियाएं, कृत्य एवं निर्णय, इस आम सभा द्वारा स्वीकृत एवं अंगीकृत किए जाते हैं।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि यह निर्णय पूर्व की सभी निर्णयों को निरस्त करती है।

अंततः यह प्रस्ताव पारित किया गया कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अथवा कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक सभी कार्य, कृत्य, कार्यवाही एवं दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत किया जाता है।”

13. एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित एपेक्स कोऑपरेटिव में अंश पूंजी निवेश करने पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करना:

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के ज्ञापन एवं नियमावली तथा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा XXIA एवं अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों तथा अन्य सभी प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों (जैसा कि समय-समय पर संशोधित अथवा पुनः अधिनियमित किए गए हों) के अधीन, कंपनी के सदस्यों द्वारा एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्यता ग्रहण करने तथा कंपनी के सामान्य भंडार की अधिकतम 30% राशि तक अंश पूंजी निवेश करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी को, इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने हेतु आवश्यक सभी कार्यवाही करने एवं प्रासंगिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने हेतु पृथक-पृथक रूप से अधिकृत किया जाता है।"

निदेशक मंडल के आदेश से

****हस्ताक्षरित/-****

डॉ. मुकेश बेरीवाल

मुख्य कार्यपालक एवं निदेशक

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 23/07/2025

टिप्पणियाँ (Notes):

1. कोई भी सदस्य जो वार्षिक आम सभा (AGM) में भाग लेने और मतदान करने के लिए पात्र है, वह अपने स्थान पर किसी अन्य सदस्य को प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त कर सकता है, जो हाजिरी मतदान और मतदान दोनों में भाग ले सकता है। ध्यान दें कि कोई भी गैर-सदस्य प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। प्रॉक्सी फॉर्म विधिवत रूप से भरा हुआ, स्टॉप किया हुआ एवं हस्ताक्षरित होकर, बैठक के निर्धारित समय से कम से कम 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। एक खाली प्रॉक्सी फॉर्म इस सूचना के साथ संलग्न है।
2. प्रत्येक सदस्य को केवल एक ही मताधिकार प्राप्त होगा (चाहे वह हाजिरी मतदान हो या पोल में), चाहे उसकी शेयरधारिता या कंपनी में प्रायोजन कितना भी हो।
3. इस सूचना के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं:
 - i. निदेशक पद हेतु प्रत्याशियों के नाम तथा उनके शैक्षणिक योग्यता का विवरण;
 - ii. दिनांक 18 सितंबर 2024 को आयोजित पिछली वार्षिक आम सभा AGM की कार्यवृत्त प्रतिलिपि;
 - iii. दिनांक 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु ऑडिटेड तुलन पत्र एवं लाभ-हानि खाता तथा निदेशक मंडल और ऑडिटर्स की रिपोर्ट;
 - iv. वित्त वर्ष 2025-2026 का बजट।
4. जिन सदस्यों को कंपनी के खातों या संचालन के बारे में जानकारी चाहिए या कोई सवाल है, वे कृपया बैठक की तारीख से कम से कम 7 दिन पहले कंपनी सचिव को पंजीकृत कार्यालय में भेजें।
5. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने सभी पत्राचार में अपने फोलियो नंबर और सदस्य कोड का उल्लेख करें।
6. नोटिस के साथ संलग्न स्पष्टीकरण पत्र में आइटम नंबर. 6,7,8,10,12 एवं 13 के संबंध में सभी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं।
7. संलग्न सूचना तथा व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित संबंधित अभिलेख सदस्यगण के अवलोकनार्थ कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 4:00 बजे तक के सामान्य कार्यालय समय में निरीक्षण हेतु सुलभ रहेंगे।
8. बोर्ड द्वारा अनुशंसित लिमिटेड रिटर्न (डिविडेंड) यदि बैठक में घोषित किया जाता है, तो यह उन शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा जिनके नाम 31 मार्च 2025 को कंपनी के सदस्य रजिस्टर में दर्ज हैं।
9. सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पते, पिन कोड और मोबाइल नंबर में किसी भी बदलाव की तुरंत सूचना कंपनी को दें।
10. कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 205A/ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार, अगर डिविडेंड सात साल से अधिक समय तक नहीं नकद या दावा किया जाता है, तो इसे निवेशक शिक्षा और

सुरक्षा कोष (IEPF) में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। IEPF को स्थानांतरित राशि के लिए कोई दावा कंपनी या IEPF के खिलाफ नहीं किया जा सकेगा।

11. सदस्यों से अनुरोध है कि वे आम सभा स्थल पर अपनी कंपनी द्वारा जारी की गई आईडी कार्ड लाएं ताकि उनकी पहचान हो सके।
12. आम सभा स्थल पर हथियार, आग्नेयास्त्र, गोला-बारूद, चाकू और ब्लेड, और तेज उपकरण लाने की अनुमति नहीं है।

उम्मीदवारों की योग्यता का विवरण निदेशक के रूप में चुने जाने के संबंध में (धारा 378ZA (4) (c) के तहत) कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार:

नाम	व्यवसाय	योग्यता
श्रीमती आकांक्षा सिंह	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती चुन्नी देवी	पशुपालन	स्नातक
श्रीमती कविता कुशवाहा	पशुपालन	स्नातकोत्तर

निदेशक मंडल के आदेश से

****हस्ताक्षरित/-****

डॉ. मुकेश बेरीवाल

मुख्य कार्यकारी एवं निदेशक

स्थान: वाराणसी

दिनांक: 23/07/2025

व्याख्यात्मक विवरण

विंदु सं. 6

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निदेशक मंडल का मानना है कि श्रीमती आकांक्षा सिंह की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निदेशक मंडल प्रस्ताव संख्या 6 को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधियों को, श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) को छोड़कर, इस प्रस्ताव से कोई हित या सरोकार नहीं है। निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

विंदु सं. 7

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती चुन्नी देवी (DIN: 11211662) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निदेशक मंडल का मानना है कि श्रीमती चुन्नी देवी की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निदेशक मंडल प्रस्ताव संख्या 7 को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधियों को, श्रीमती चुन्नी देवी (DIN: 11211662) को छोड़कर, इस प्रस्ताव से कोई हित या सरोकार नहीं है। निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

विंदु सं. 8

निदेशक मंडल का मत है कि श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) की नियुक्ति निदेशक के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया है। निदेशक मंडल का मानना है कि श्रीमती कविता कुशवाहा की नियुक्ति कंपनी के लिए लाभकारी होगी। अतः निदेशक मंडल प्रस्ताव संख्या 8 को सदस्यों की स्वीकृति हेतु अनुशंसा करता है।

कंपनी के किसी भी निदेशक/प्रमुख प्रबंधन कार्मिक/उनके संबंधियों को, श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) को छोड़कर, इस प्रस्ताव से कोई हित या सरोकार नहीं है। निदेशक मंडल इस प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में पारित करने की अनुशंसा करता है।

विंदु सं. 10

कंपनी के उपविधियों की धारा 9.6, 9.18(k), एवं 11.11(vii) के अनुसार, जो निदेशक मंडल में वर्ग विशेष के सदस्यों के प्रतिनिधित्व, निदेशकों के निर्वाचन, निदेशक पद हेतु अनुशंसा आदि से संबंधित है, निदेशक मंडल द्वारा एक "नामांकन समिति" (Nominating Committee) का गठन आवश्यक है।

साथ ही, उपविधि 11.11 के अनुसार, "नामांकन समिति" के गठन हेतु दिशानिर्देशों को कंपनी के वार्षिक आम बैठक में पारित साधारण प्रस्ताव द्वारा सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है।

अतः निदेशक मंडल द्वारा "नामांकन समिति" के गठन, उसके दिशानिर्देशों की स्वीकृति तथा निदेशक पद हेतु नामांकन के मापदंडों के निर्माण हेतु सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है।

अतः यह आवश्यक है कि "नामांकन समिति" के गठन हेतु उपयुक्त दिशानिर्देश, निदेशक पद हेतु पात्रता मापदंड सहित, जैसा कि प्रस्तावित साधारण प्रस्ताव के प्रारूप में वर्णित है, को स्वीकृत किया जाए ताकि भविष्य में योग्य सदस्यों की अनुशंसा निदेशक मंडल के लिए की जा सके।

कंपनी के किसी भी निदेशक/अधिकारी/या उनके संबंधियों को इस प्रस्ताव में कोई व्यक्तिगत हित या सरोकार नहीं है।

विंदु सं. 12

निर्देशक मंडल द्वारा दिनांक 21.11.2021 को आयोजित प्रथम बैठक में कंपनी के अनुच्छेदों का संज्ञान लिया गया था।

अनुच्छेद 9 के प्रावधानों के अनुसार, जो कि निदेशक मंडल से संबंधित हैं, कंपनी के निदेशक मंडल में चुने जाने हेतु सदस्यों को कुछ विशिष्ट अर्हताएं पूरी करनी होती हैं, जैसे कि किसी निर्दिष्ट सदस्य वर्ग से संबंधित होना।

कंपनी के कार्यक्षेत्र एवं सदस्यता आधार के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए, जो कि वर्तमान में 1000 से अधिक गांवों में फैला हुआ है, एवं पशुधन तथा प्रति सदस्य दुग्ध आपूर्ति में वर्ष दर वर्ष वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में, यह आवश्यक हो गया है कि शासन प्रणाली समावेशी हो तथा कंपनी के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र में सदस्यता का न्यायसंगत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके।

जैसे-जैसे सदस्यता के स्वरूप में परिवर्तन होता है, विभिन्न सदस्य वर्गों (जैसे वर्ग A, वर्ग B, एवं वर्ग C) का बोर्ड में प्रतिनिधित्व एवं उसका अनुपात भी प्रभावित हो सकता है। अतः, निदेशक मंडल द्वारा गठित

नामांकन समिति के माध्यम से पात्र सदस्यों के नामांकन एवं नियुक्ति की सुविधा हेतु अनुच्छेद 9.5(i) एवं अनुच्छेद 9.6(ii) में उपयुक्त संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है।

प्रस्तावित संकल्प में उल्लिखित लागू वैधानिक प्रावधानों के अनुसार, कंपनी के अनुच्छेदों में संशोधन के लिए सदस्यों की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

A. अनुच्छेद 9.5 (i) में संशोधन

उप-अनुच्छेद 9.5(i) के अनुसार - "सदस्य के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड में पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के प्रोत्साहन (patronage) पर आधारित होगी। हालांकि, यह आवश्यकता कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक तक शिथिल रहेगी।"

उपरोक्त के आलोक में, कंपनी के संविधान दस्तावेज (संस्था के अंतर्नियम) में निहित वर्तमान अनुच्छेद 9.5(i) को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव है:

संशोधित अनुच्छेद 9.5(i) इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"सदस्य के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले बोर्ड में पदों की संख्या, यथासंभव, संबंधित वर्ग के प्रोत्साहन पर आधारित होगी। यह प्रावधान कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।"

बी. अनुच्छेद 9.6 (ii) में परिवर्तन

उप-अनुच्छेद 9.6 (ii) के अनुसार -

"कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड में रिक्त पद को नामांकन समिति (Nominating Committee) की अनुशंसा के आधार पर भरा जाएगा, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। हालांकि, यह प्रावधान कंपनी की 7वीं वार्षिक सामान्य बैठक के उपरांत प्रभावी होगा तथा तब तक रिक्त पदों को कंपनी के बोर्ड की अनुशंसा के आधार पर भरा जाएगा।"

इस परिप्रेक्ष्य में, कंपनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 9.6 (ii) को निम्नानुसार संशोधित करने का प्रस्ताव किया गया है:

संशोधित अनुच्छेद 9.6 (ii) इस प्रकार पढ़ा जाएगा:

"कंपनी की वार्षिक सामान्य बैठक में बोर्ड में कोई भी रिक्त पद, बोर्ड द्वारा नियुक्त नामांकन समिति

की अनुशंसा के आधार पर भरा जाएगा। यह प्रावधान कंपनी की 5वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।”

विंदु सं. 13

"एनडीडीबी (NDDB) द्वारा एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज (NDS) के माध्यम से प्रोत्साहित या भविष्य में प्रोत्साहित की जाने वाली दुग्ध उत्पादक संगठनों की शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति के गठन की प्रक्रिया सुगम की जा रही है। उक्त शीर्ष सहकारी समिति का पंजीकरण बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम, 2002 के अंतर्गत किया जाएगा। इस समिति का उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना है, जिसके अंतर्गत दुग्ध उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं विपणन को सहयोग प्रदान करना, दुग्ध क्षेत्र में संबंधित गतिविधियों का विस्तार करना तथा दुग्ध उत्पादकों को वित्तीय, तकनीकी एवं प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराना, सरकार एवं अन्य संबंधित निकायों से समन्वय स्थापित करना तथा सहकारिता के सिद्धांतों का अनुपालन करना सम्मिलित है।

चूंकि काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के उद्देश्य और गतिविधियाँ उक्त शीर्ष सहकारी समिति की व्यापक दृष्टि और लक्ष्यों, विशेष रूप से सहकारी एवं पारस्परिक सहयोग के सिद्धांतों को बढ़ावा देने, दुग्ध उत्पादन को सशक्त बनाने, तथा भारत में दुग्ध मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ करने के अनुरूप हैं, अतः यह प्रस्तावित किया जाता है कि काशी एमपीसी उक्त शीर्ष बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्य बने और अपने सामान्य भंडार की अधिकतम 30% राशि तक के अंशों (शेयरों) की सदस्यता लेकर एनडीडीबी द्वारा प्रोत्साहित इस बहु-राज्य सहकारी समिति की सदस्यता प्राप्त करे।

निदेशक मंडल सदस्यों की स्वीकृति हेतु संगत विशेष प्रस्ताव को संलग्न नोटिस में अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करता है।”

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

बजट 2025-26

राजस्व बजट

कुल (रु. लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	बजट वित्तीय वर्ष 24-25	वास्तविक वित्तीय वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 25-26
	कुल दुग्ध संग्रहण - किलोग्राम	6,43,91,881	3,77,75,045	5,18,10,348
	औसत दुग्ध संग्रहण - प्रति दिन किलोग्राम	1,76,416.11	1,03,493.27	1,41,946.16
	फैट %	5.40	5.14	5.14
	एस.एन.एफ %	8.80	8.66	8.67
	ई.एफ.यू %	11.27	10.92	10.92
A	बिक्री से प्राप्त	37,374.69	18,736.68	26,941.69
	इन्वेंट्री में वृद्धि/ (कमी)	-	(31.56)	-
B	घटाएं : उत्पादक मूल्य	32,209.00	16,280.68	22,997.87
C	सकल मार्जिन	5,165.69	2,487.56	3,943.82
D	सहायक मार्जिन	676.14	81.57	440.14
E	मिल्कवैन परिवहन (गांव से बीएमसी तक)	647.16	530.70	698.19
F	बाहरी मालभाड़ा (बीएमसी से मदर डेयरी)	2,014.47	1,076.36	1,683.84
G	परिवर्तनीय लागत - दुग्ध संग्रहण व्यय*	438.90	265.57	400.23
H	कुल परिवर्तनीय लागत	3,776.67	1,954.20	3,222.40
I	अंशदान	1,389.02	533.35	721.41
	घटाएं : नियत लागत - प्रशासनिक व्यय	426.02	225.80	340.08
	मानव संसाधन	650.73	417.45	507.01
	सूचना एवं प्रौद्योगिकी व्यय	38.19	8.54	26.80
	बिक्री एवं विपणन	189.85	-	-
J	कुल नियत लागत	1,304.78	651.79	873.88
K	अनुदान सहायता से पहले दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	84.24	(118.44)	(152.47)
L	अनुदान सहायता (विस्तार योजना हेतु)	464.13	273.81	-
M	अनुदान सहायता के बाद दुग्ध परिचालन से लाभ/(हानि)	548.37	155.37	(152.47)

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

बजट 2025-26

राजस्व बजट

कुल (रु. लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	बजट वित्तीय वर्ष 24-25	वास्तविक वित्तीय वर्ष 24-25	प्रस्तावित बजट वित्तीय वर्ष 25-26
	पशु चारा एवं मिनरल मिक्सचर की बिक्री	2,786.84	823.59	1,215.36
	पशु चारा एवं मिनरल मिक्सचर की खरीद	2,547.82	683.27	1,041.81
	इन्वेंट्री में परिवर्तन - पशु चारा एवं मिनरल मिक्सचर	-	(22.76)	-
	व्यय (केवल इस क्षेत्र से संबंधित)	204.20	50.80	93.22
N	पशु चारा एवं मिनरल मिक्सचर से आय	34.82	66.75	80.33
O	पीईएस/एआई से प्राप्त	-	-	-
P	पीईएस/एआई पर व्यय	72.94	35.23	36.90
Q	अनुदान सहायता (पीईएस गतिविधियों हेतु)	-	-	-
R	पीईएस/एआई से आय	(72.94)	(35.23)	(36.90)
S	प्रवेश शुल्क से आय	5.00	3.30	5.67
T	ब्याज आय	-	56.84	131.83
U	अन्य आय	-	21.93	-
V	कर पूर्व कुल लाभ/(हानि)	515.25	268.96	28.45

बजट 2025-26

पूंजीगत व्यय बजट (CAPEX BUDGET)

कुल (रु. लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	बजट वित्त वर्ष 2024-25	वास्तविक वित्त वर्ष 2024-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2025-26
A	दुग्ध संचालन			
(I)	एम.पी.पी. सेटअप लागत	30.00	-	-
(II)	कैन्स	99.00	-	-
(III)	बीएमसी	-	-	-

बजट 2025-26
पूँजीगत व्यय बजट (CAPEX BUDGET)

कुल (रु. लाख में)

क्रम संख्या	विवरण	बजट वित्त वर्ष 2024-25	वास्तविक वित्त वर्ष 2024-25	प्रस्तावित बजट वित्त वर्ष 2025-26
(IV)	एचओ सेटअप	-	-	5.00
(V)	आईसीटी	48.94	-	12.54
(VI)	डीपीएमसीयू	363.00	-	-
(VII)	एमसीसी/बीएमसी सहायक उपकरण	24.47	-	74.26
(VIII)	एएमसीयू	6.00	-	-
(IX)	बीएमसी सेटअप लागत	-	-	-
(X)	पूँजीगत व्यय (बिक्री)	120.00	-	-
(XI)	क्लस्टर अधिकारी सेटअप	10.00	-	-
	कुल पूँजीगत व्यय - दुग्ध संचालन	701.41	-	91.80
(XII)	पूँजीगत अनुदान समर्थन - दुग्ध संचालन	643.00	-	-
	स्वयं के कोष से पूँजीगत व्यय	58.41	-	91.80
B	पीईएस संचालन			
(I)	कंटेनर्स	11.46	-	-
(II)	एलएन साइलो	-	-	-
(III)	हैंडहेल्ड डिवाइस/टैबलेट	-	-	-
(IV)	लैपटॉप	-	-	-
(V)	पीईएस केंद्र सेटअप	-	-	-
	कुल पूँजीगत व्यय - पीईएस संचालन	11.46	-	-
(VI)	पूँजीगत अनुदान समर्थन - पीईएस संचालन	11.46	-	-
	स्वयं के कोष से पूँजीगत व्यय	-	-	-
I	कुल पूँजीगत व्यय	712.86	-	91.80
II	कुल पूँजीगत अनुदान	654.46	-	-
III	स्वयं के कोष से पूँजीगत व्यय	58.41	-	91.80

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की चौथी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) की कार्यवृत्तिका, जो दिनांक बुधवार, 18 सितम्बर 2024 को "होटल द पिनैकल इन", सारनाथ, हवेलिया चौराहा, एसए-15/129ई, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में दोपहर 12:00 बजे आयोजित की गई।

उपस्थित सदस्यगण:

निदेशक मंडल

1. श्रीमती सरिता देवी - अध्यक्ष एवं सदस्य
2. श्रीमती ममता सिंह - निदेशक एवं सदस्य
3. श्रीमती संगीता देवी - निदेशक एवं सदस्य
4. श्रीमती श्यामलता सिंह - निदेशक एवं सदस्य
5. श्रीमती मंषा कुमारी - निदेशक एवं सदस्य
6. श्रीमती अंजना सिंह - निदेशक एवं सदस्य
7. श्रीमती प्रतिमा देवी - निदेशक
8. श्रीमती ममता देवी - निदेशक
9. डॉ. मुकेश बेरीवाल - मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं निदेशक
10. डॉ. संजय कुमार गोवानी - विशेषज्ञ निदेशक

कंपनी सचिव:

श्रीमती प्रियांका सत्यवली

अध्यक्षता:

श्रीमती सरिता देवी, जो बैठक की अध्यक्ष थीं, ने कंपनी के सदस्यों और निदेशक मंडल का चौथी वार्षिक आम बैठक में स्वागत किया। उन्होंने सूचित किया कि व्यक्तिगत एवं अनिवार्य कारणों से कंपनी के विशेषज्ञ निदेशक श्री आलोक कुमार गुप्ता बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

कोरम की पुष्टि:

अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से सदस्यों की उपस्थिति की पुष्टि करने का अनुरोध किया। कंपनी सचिव ने सूचित किया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378Y और कंपनी के अनुच्छेद 11.6 के अनुसार, कुल सदस्यों के एक-चौथाई की उपस्थिति कोरम के लिए आवश्यक है।

उपस्थिति रजिस्टर के अनुसार:

- स्वयं उपस्थित: 75 सदस्य, जिनके पास कुल 2940 इक्विटी शेयर हैं।
- प्रॉक्सी के माध्यम से: 8424 सदस्य, जिनके पास कुल 1,38,455 इक्विटी शेयर हैं।

कुल उपस्थिति: 8499 सदस्य, जो कुल सदस्यों का 37.32% है।

चूँकि आवश्यक कोरम पूरा था, कंपनी सचिव ने अध्यक्ष से बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी। अध्यक्ष ने कंपनी सचिव से पुष्टि प्राप्त कर कोरम की घोषणा की और बैठक प्रारंभ की।

कंपनी सचिव ने बताया कि प्रॉक्सी रजिस्टर, सदस्य रजिस्टर, निदेशकों की शेयरधारिता रजिस्टर, वैधानिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट एवं अन्य वैधानिक रजिस्टर निरीक्षण हेतु उपलब्ध हैं। उन्होंने यह भी बताया कि लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है, अतः रिपोर्ट को पढ़ा हुआ माना गया।

सभी उपस्थित सदस्यों की सर्वसम्मति से, पूर्व में वितरित चौथी वार्षिक आम बैठक की सूचना जो की समय सीमा के भीतर सदस्यों को वितरित की जा चुकी है, को पढ़ा हुआ माना गया।

इसके बाद, अध्यक्ष के निर्देशानुसार, कंपनी सचिव श्रीमती प्रियांका सत्यावली ने बैठक का एजेंडा प्रस्तुत किया।

बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किए गए:

1. वित्तीय विवरणों की स्वीकृति:

विषय: दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लेखा परीक्षणित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता, नकदी प्रवाह विवरण, तद्संबंधी अनुसूचियां एवं टिप्पणियां तथा निदेशक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को स्वीकार करना।

प्रस्तावक: श्रीमती चिंता देवी (फोलियो संख्या: 0023458)

द्वितीयक: श्रीमती अनीता सिंह (फोलियो संख्या: 0011893)

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:1/2024-2025

प्रस्ताव:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि दिनांक 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखा परीक्षणित तुलन पत्र, लाभ हानि खाता, नकद प्रवाह विवरण, संबद्ध अनुसूचियां, टिप्पणियां एवं निदेशक और लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को स्वीकृत एवं अंगीकृत किया जाता है।”

वोटिंग: सर्वसम्मति से पारित।

2. लाभांश (डिविडेंड) की घोषणा:

विषय: वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ₹8 प्रति शेयर की दर से सीमित लाभांश (Limited Return) की घोषणा।

प्रस्तावक: श्रीमती बबली कुमारी (फोलियो संख्या: 0015391)

द्वितीयक: श्रीमती पूनम देवी (फोलियो संख्या: 0003238)

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:2/2024-2025

प्रस्ताव:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए ₹100 पूर्ण चुकता प्रति इक्विटी शेयर पर ₹8/- प्रति शेयर की दर से कुल ₹25,59,696/- लाभांश का भुगतान उन सदस्यों को किया जाए जिनके नाम 31 मार्च 2024 को सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज हैं।”

वोटिंग: सर्वसम्मति से पारित।

3. निदेशक श्रीमती ममता सिंह का सेवानिर्वित:

विषय: श्रीमती ममता सिंह (DIN: 09395184) का रोटेशन के तहत सेवानिर्वित एवं पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्यता की पुष्टि।

प्रस्तावक: श्रीमती आरती (फोलियो संख्या: 0016134)

द्वितीयक: श्रीमती संगीता (फोलियो संख्या: 0027796)

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:3/2024-2025

प्रस्ताव:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA के अनुसार, निदेशक श्रीमती ममता सिंह, जो दो लगातार कार्यकाल पूर्ण कर चुकी हैं, रोटेशन के अंतर्गत सेवानिर्वित लेती हैं तथा पुनः नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित की जाती हैं।”

वोटिंग: सर्वसम्मति से पारित।

4. निदेशक श्रीमती संगीता देवी का पुनर्नियुक्ति:

विषय: श्रीमती संगीता देवी (DIN: 09687721) की पुनर्नियुक्ति।

प्रस्तावक: श्रीमती संध्या (फोलियो संख्या: 0011379)

द्वितीयक: श्रीमती रीना सिंह (फोलियो संख्या: 0016205)

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:4/2024-2025

प्रस्ताव:

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद 9.6 एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA के अनुसार, निदेशक श्रीमती संगीता देवी, जो 4वीं एजीएम में निदेशक पद से सेवानिर्वित हो रही हैं, और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, उन्हें निदेशक के रूप में पुनः नियुक्त किया जाता है, तथा उनकी नियुक्ति रोटेशन द्वारा सेवानिर्वित होने के अधीन होगी।”

वोटिंग: सर्वसम्मति से पारित।

5. श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना

श्रीमती रीता देवी (फोलियो संख्या: 0025533) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:5/2024-2025

“यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद संख्या 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अनुबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (तथा समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी विधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अंतर्गत, श्रीमती गीता वर्मा (DIN: 10743665) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक, उपयुक्त एवं तदनुसार सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।”

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीमती रीमा (फोलियो संख्या: 0014654) ने किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया और हाथ उठाकर मतदान के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

6. श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना

श्रीमती मंजू सिंह (फोलियो संख्या: 0006344) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:6/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद संख्या 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अनुबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (तथा समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी विधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अंतर्गत, श्रीमती मंजू देवी (DIN: 10743357) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक, उपयुक्त एवं तदनुसार सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीमती अनामिका उपाध्याय (फोलियो संख्या: 0020232) ने किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया और हाथ उठाकर मतदान के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

7. श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना

श्रीमती सोनी देवी (फोलियो संख्या: 0020196) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:7/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद संख्या 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अनुबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (तथा समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी विधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अंतर्गत, श्रीमती पूनम देवी (DIN: 10743330) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक, उपयुक्त एवं तदनुसार सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीमती सुशीला देवी (फोलियो संख्या: 0014810) ने किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया और हाथ उठाकर मतदान के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित किया।

8. श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना

श्रीमती रंजना यादव (फोलियो संख्या: 0018070) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:8/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद संख्या 9.6 तथा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 378ZA एवं अनुबंधित अन्य प्रासंगिक प्रावधानों (तथा समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी विधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अंतर्गत, श्रीमती रीना देवी (DIN: 10743346) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, जिनका कार्यकाल रोटेशन के अधीन होगा।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु आवश्यक, उपयुक्त एवं तदनुसार सभी कार्यवाही करने के लिए अधिकृत किया जाता है।"

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीमती लक्ष्मीना देवी (फोलियो संख्या: 0011419) ने किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया और हाथ उठाकर मतदान के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

9. सदस्यता के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु मापदंडों को विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना और निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव को अपनाना।

श्रीमती राधिका (फोलियो संख्या: 0003825) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को एक साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4th AGM: 18.09.2024:9/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी के अनुच्छेद 9.4 के अंतर्गत, कंपनी के व्यवसाय में भागीदारी (पैट्रोनेज) के आधार पर सदस्यों को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करने हेतु निम्नलिखित मापदंडों को, जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अनुशंसित किया गया है, अनुमोदित कर अपनाया जाता है:

क्र.सं.	मानदंड	श्रेणी - ए	श्रेणी - बी	श्रेणी - सी
1.	एक साल में एमपीसी को आपूर्ति किए गए दूध के दिन	>= 270 दिन	>= 270 दिन	>=200 दिन

क्र.सं.	मानदंड	श्रेणी - ए	श्रेणी - बी	श्रेणी - सी
2.	एमपीसी को आपूर्ति की गई सालाना दूध की मात्रा (लीटर में)	≥ 3000 लीटर	≥ 1500 लीटर	≥ 500 लीटर
3.	फलश महीने (नवंबर से फरवरी) में आपूर्ति की गई दूध की मात्रा की तुलना में पतझड़ महीने (अप्रैल से जुलाई) में आपूर्ति की गई दूध की मात्रा;	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं	3 से अधिक नहीं
4.	न्यूनतम एमपीसी शेयर सब्सक्रिप्शन (शेयर पूंजी का योगदान)	30 शेयर (Rs.3000/-)	15 शेयर (Rs.1500/-)	5 शेयर (Rs.500/-)

टिप्पणियाँ -

a) वर्ग निर्धारण के उद्देश्य हेतु, वास्तविक शेयर योगदान या वास्तविक दूध आपूर्ति मात्रा, जो भी कम हो, उसे ही मान्य किया जाएगा।

b) पैट्रोनैज की गणना हेतु निम्नलिखित को ध्यान में रखा जाएगा:

i. वे सदस्य जो पिछले वित्तीय वर्ष में शामिल हुए हैं और अभी 365 दिन पूरे नहीं हुए हैं, किंतु वर्ग हेतु न्यूनतम शेयर पूंजी का योगदान किया है, उन्हें उस वर्ग में गिना जाएगा।

ii. कोई भी सदस्य जो वर्ग A या B की पात्रता नहीं रखता, उसे निम्न वर्ग में समायोजित किया जाएगा, परंतु वह उस वर्ष निदेशक मंडल के चुनाव हेतु पात्र नहीं होगा।

जो सदस्य 'वर्ग C' में भी बने रहने की न्यूनतम पात्रता पूरी नहीं करते, उन्हें अनुच्छेद 4.3 को अनुच्छेद 8 के साथ पढ़ते हुए सदस्यता रद्द करने हेतु नोटिस जारी किया जाएगा। हालांकि, यदि निदेशक मंडल उन्हें सदस्य बनाए रखने की अनुमति देता है, तो ऐसे सदस्यों को बिना वर्ग के सदस्य माना जाएगा।

इस प्रस्ताव का समर्थन श्रीमती गीता देवी (फोलियो संख्या: 0005249) ने किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु प्रस्तुत किया और हाथ उठाकर मतदान के आधार पर इसे सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

10. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करना

श्रीमति पूजा यादव (फोलियो संख्या: 0013045) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4वीं वार्षिक आम बैठक: 18.09.2024:10/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A की प्रासंगिक धाराओं, विशेष रूप से धारा 378H, 378ZQ, 378ZR और अन्य लागू प्रावधानों (तथा समय-समय पर उसमें किए गए किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन) एवं कंपनी के ज्ञापन और उपविधियों के प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹5,00,00,000/- (पांच करोड़ रुपये मात्र), जो कि ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है, को बढ़ाकर ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये मात्र) किया जाए, जो कि ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित होगी, और इसके लिए अतिरिक्त 5,00,000 (पाँच लाख) इक्विटी शेयर ₹100/- प्रत्येक के बनाए जाएं।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि कंपनी के ज्ञापन में मौजूद धारा VI को निम्नलिखित नए पाठ से प्रतिस्थापित किया जाए:

"VI. कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी ₹10,00,00,000/- (दस करोड़ रुपये मात्र) है, जो ₹100/- (एक सौ रुपये) प्रत्येक के 10,00,000 (दस लाख) इक्विटी शेयरों में विभाजित है।"

यह भी प्रस्तावित किया गया कि इस प्रस्ताव को प्रभावी बनाने हेतु मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को आवश्यक सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत किया जाए, तथा इस संदर्भ में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने का अधिकार प्रदान किया जाए।"

श्रीमति दीपा सिंह (फोलियो संख्या: 0011586) ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

11. कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तनों पर विचार और अनुमोदन करना और यदि उचित समझा जाए, तो विशेष संकल्प के बाद संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के पारित करने के लिए।

श्रीमति रमावती राय (फोलियो संख्या: 0021806) ने निम्नलिखित प्रस्ताव विशेष प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4वीं वार्षिक आम बैठक: 18.09.2024:11/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXI-A, विशेष रूप से धारा 378-I तथा धारा 14 और अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के वर्तमान उपविधियों में निम्नलिखित संशोधन किए जाएं:

1. धारा 9.5(i) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:
"प्रत्येक सदस्य वर्ग का बोर्ड में प्रतिनिधित्व, यथासंभव, उनके संरक्षण के आधार पर किया जाएगा। हालांकि, यह आवश्यकता कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक तक के लिए स्थगित की जाती है।"
2. धारा 9.6(ii) को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:
"बोर्ड में रिक्त पदों को भरने के लिए नामांकन समिति की प्रस्ताव के आधार पर वार्षिक आम बैठक में नियुक्ति की जाएगी। यह प्रावधान कंपनी की 7वीं वार्षिक आम बैठक के पश्चात प्रभावी होगा। तब तक रिक्त पद बोर्ड के प्रस्ताव से भरे जाएंगे।"
3. धारा 9.7 को इस प्रकार प्रतिस्थापित किया जाए:
"बोर्ड में रिक्त पद भरने हेतु बोर्ड अतिरिक्त निदेशक/निदेशक को सह-नामित कर सकता है, बशर्ते कि वह व्यक्ति पिछले दो वित्तीय वर्षों के लिए सदस्यता निरंतरता मानदंड को पूरा करता हो। सह-नामित निदेशक अगले वार्षिक आम बैठक तक या बोर्ड द्वारा निर्धारित अल्प अवधि तक पद पर रहेगा। हालांकि, ऐसा व्यक्ति दो लगातार वर्षों में सह-नामित नहीं किया जा सकता। यह सदस्यता निरंतरता मानदंड 7वीं वार्षिक आम बैठक के समापन से प्रभावी होगा।"

यह भी प्रस्तावित किया गया कि उपरोक्त संशोधनों से पूर्व बोर्ड द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों को भी स्वीकृति दी जाती है।

साथ ही, यह प्रस्ताव सभी पूर्ववर्ती निर्णयों को निरस्त करता है।

इसके अलावा, कंपनी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी या कंपनी सचिव को इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए आवश्यक सभी कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमति शीला देवी (फोलियो संख्या: 0012990) ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

12. वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए कंपनी के बजट पर विचार करना एवं स्वीकृति देना।

श्रीमति मालती देवी (फोलियो संख्या: 0004629) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4वीं वार्षिक आम बैठक: 18.09.2024:12/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी का बजट 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की अवधि के लिए, जो वार्षिक आम बैठक में प्रस्तुत किया गया, उसे स्वीकृति प्रदान की जाती है।"

स्मिति आशा देवी (फोलियो संख्या: 0012445) ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

13. सेकंडमेंट एग्रीमेंट को स्वीकृति देना एवं उससे संबंधित कार्रवाइयों का अनुमोदन।

अनुराधा (फोलियो संख्या: 00044648) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4वीं वार्षिक आम बैठक: 18.09.2024:13/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अध्याय XXI-A तथा अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ सेकंडमेंट एग्रीमेंट करने एवं पूर्व में किए गए सभी संबंधित कार्य को अनुमोदित करने की स्वीकृति दी जाती है।

यह भी प्रस्तावित किया गया कि इस निर्णय/समझौते को समाप्त करने के लिए कंपनी को सदस्यों की सामान्य बैठक में पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।

साथ ही, यह प्रस्ताव पारित किया गया कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमति शीला देवी (फोलियो संख्या: 0018344) ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

14. एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज को दूध की आपूर्ति के समझौते को विचारार्थ लेना और स्वीकृति देना।

श्रीमति सुनीता देवी (फोलियो संख्या: 0004833) ने निम्नलिखित प्रस्ताव को साधारण प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया:

प्रस्ताव संख्या: 4वीं वार्षिक आम बैठक: 18.09.2024:14/2024-2025

"यह प्रस्ताव पारित किया गया कि कंपनी अधिनियम, 2013 की अध्याय XXI-A एवं अन्य लागू प्रावधानों के अंतर्गत, एनडीडीबी डेयरी सर्विसेज के साथ दिनांक 5 अप्रैल 2024 को किए गए दूध आपूर्ति समझौते एवं उसके किसी भी संशोधन, परिवर्धन या विस्तार को अनुमोदन प्रदान किया जाता है। यह भी प्रस्तावित किया गया कि अध्यक्ष को इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु सभी आवश्यक कार्य करने हेतु अधिकृत किया जाता है।"

श्रीमति सविता (फोलियो संख्या: 0011572) ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

अध्यक्ष ने प्रस्ताव को मतदान हेतु रखा और हाथ उठाकर मतदान के माध्यम से प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित घोषित किया।

धन्यवाद प्रस्ताव:

कोई अन्य विषय विचारार्थ न होने के कारण, बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद देते हुए समाप्त की गई।

बैठक प्रारंभ होने का समय: 12:00 अपराहन

बैठक समाप्त होने का समय: 1:15 अपराहन

बैठक की कार्यवाही दर्ज की गई दिनांक: 16 अक्टूबर 2024

हस्ताक्षरित

अध्यक्ष

काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन, पंचकोशी रोड, वाराणसी -
221002

ईमेल: info@kasheemilk.com फ़ोन: [0542-4085526](tel:0542-4085526)

अधिसूचना प्राप्ति प्रमाणपत्र

फोलियो संख्या: _____

मैंनिवासी,
काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का सदस्य हूं। मैंने कंपनी द्वारा भेजी गई पाँचवीं वार्षिक आम
बैठक की सूचना प्राप्त कर ली है।

सदस्य के हस्ताक्षर: _____

तिथि: _____

स्थान: _____

प्रतिनिधि फॉर्म (एमजीटी-11)

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105(6) और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 19(3) के अनुसार]

सीआईएन: U01409UP2021PTC155262

कंपनी का नाम: काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: दूसरी मंजिल, एस-2/1-77, टैगोर टाउन एक्सटेंशन,
पंचकोशी रोड, वाराणसी - 221002

सदस्य का नाम		शेयरों की संख्या		
पंजीकृत पता		फोलियो संख्या		
ईमेल		सदस्य कोड		

मैं/हम काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड के सदस्य होने के नाते एतद्वारा:

क्र.सं.	नाम:	पता	ईमेल:	फोलियो संख्या
1				
2				

मैं 10 सितम्बर 2025 (बुधवार) को दोपहर 12:00 बजे होटल द पिन्नेकल इन, हवेलिया चौराहा, एसए-15/129 ई, सारनाथ, वाराणसी, उत्तर प्रदेश - 221007 में आयोजित काशी मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड की 5वीं वार्षिक आम सभा में अपनी ओर से एक प्रतिनिधि नियुक्त करती हूँ। सभा के स्थगन की स्थिति में, उक्त प्रतिनिधि को निम्नलिखित प्रस्तावों से संबंधित सभी विषयों पर विचार करने एवं निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।"

क्र.सं.	संकल्प	के	समर्थनके	विरुद्ध
1	31 मार्च 2025 तक की लेखा परीक्षित तुलन पत्र तथा उस तिथि को समाप्त अवधि के लिए लाभ-हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को अनुसूचियों ओर नोट्स के साथ प्राप्त करना और अपनाना तथा उस पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट अपनाना और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
2	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कंपनी की शेयर पूंजी पर सीमित रिटर्न (लाभांश) पर विचार करना और घोसणा करना तथा इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
3	श्रीमती सरिता देवी (DIN: 09687193) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
4	श्रीमती श्यामलता सिंह (DIN: 10180147) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
5	श्रीमती प्रतिमा देवी (DIN:10290499) जो रोटेशन द्वारा सेवानिवृत्त हो रही हैं और पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
6	श्रीमती आकांक्षा सिंह (DIN: 11211650) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
7	श्रीमती चुन्नी देवी (DIN:11211662) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
8	श्रीमती कविता कुशवाहा (DIN: 11211671) को कंपनी की निदेशक के रूप में नियुक्त करने पर विचार करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
9	विभिन्न वर्गों में सदस्यों को संरक्षकता के आधार पर वर्गीकृत करने के मानदंडों पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में निम्नलिखित सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।			
10	नामांकन समिति के गठन हेतु दिशा-निर्देशों पर विचार करना एवं अनुमोदन प्रदान करना, ताकि पात्र सदस्यों से प्राप्त आवेदन-पत्रों की जांच कर कंपनी के निदेशक मंडल में रिक्त पदों के लिए निर्धारित मापदंडों के आधार पर उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन किया जा सके और इस संबंध में निम्नलिखित साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए।			

11	वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कंपनी के बजट पर विचार और अनुमोदन करना और इस संबंध में सामान्य संकल्प पारित करने के लिए।		
12	कंपनी के संस्था के अंतर्नियम में संशोधन पर विचार करने एवं स्वीकृति प्रदान करने के लिए, और यदि उपयुक्त समझा जाए, तो निम्नलिखित प्रस्ताव को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, एक विशेष प्रस्ताव के रूप में पारित करने के लिए।		
13	एनडीडीबी द्वारा प्रवर्तित एपेक्स कोऑपरेटिव में अंश पूंजी निवेश करने पर विचार कर स्वीकृति प्रदान करना तथा इस संबंध में निम्नलिखित विशेष प्रस्ताव पारित करने के लिए।		

हस्ताक्षर तिथि:

सदस्य के हस्ताक्षर:

प्रॉक्सि होल्डर के हस्ताक्षर:

रूपये एक का रेवेन्यु टिकट लगाये

नोट: ध्यान रहे की प्रतिनिधि फॉर्म ऊपर वर्णित आम सभा से 48 घंटे पूर्व कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर पहुंचना आवश्यक है तथा प्रतिनिधि को कंपनी का सदस्य होना अनिवार्य है ।

आम सभा की बैठक का नक्शा



निकटवर्ती प्रमुख स्थल:

- सारनाथ मंदिर परिसर
- सारनाथ संग्रहालय